सत्यमेव जयते

Annual Report वार्षिक प्रतिवेदन

2009-2010

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

Coastal Aquaculture Authority

सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन 2009 - 2010

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
दूसरी मंजिल, शास्त्री भवन एनेक्सी
चैन्नै – 600006, तमिलनाडु
दूरभाषा : 91-44-28213785, 28216552
फैक्स : 044-28216552
ई–मेल : aquaauth@vsnl.net वेबसाइट : www.caa.gov.in

प्रकाशक
अध्यक्ष
तटीय जलकृषि प्राधिकरण

संकलन तथा संपादन
आर पाल राज
भास्करण मणिमारन
मनास कुमार सिंहा
जी. डी. चन्द्रपाल
डी. विन्सेंट

मुद्रक
नागराज एंड कंपनी

Published by

Chairman
Coastal Aquaculture Authority

Compilation & Editing

R. Paul Raj
Baskaran Manimaran
Manas Kumar Sinha
G. D. Chandrapal
D. Vincent

Printed by

Nagaraj & Co Private Limited

विषय वस्तु

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
	प्रस्तावना	
I.	**प्राधिकरण का संगठन, परिचालन संबंधी लक्ष्य तथा उद्देश्य**	
(i)	प्राधिकरण का संगठन	1
(ii)	प्राधिकरण के लक्ष्य तथा उद्देश्य	2
(iii)	प्राधिकरण की शक्तियां तथा कार्य	4
(iv)	एसपीएफ एल.वन्नामई कल्चर का भारत में विनियमन	5
II.	**लक्ष्य तथा कार्य निष्पादन**	
(i)	वार्षिक लक्ष्य	6
(ii)	वास्तविक कार्य निष्पादन का संक्षिप्त समीक्षा	7
III.	**क. क्रियाकलाप व उपलब्धियां**	
(i)	प्राधिकरण और प्राधिकरण द्वारा गठित समितियों की बैठक	9
(ii)	झींगा फार्मों का पंजीकरण	15
(iii)	हैचरियों का पंजीकरण	20
(iv)	एसपीएफ एल.वन्नामई पालन – वर्तमान स्थिति	21
(v)	सीसीए कार्यालय के लिए अतिरिक्त स्थान	26
(vi)	सीएए के तननीकी शाखा में प्रयोगशाला स्थापित करना	26
(vii)	बाहरी गतिविधियां जिसमें सीएए अधिकारी शामिल थे	26
(viii)	अन्य संगठनों द्वारा आयोजित बैठक/सेमिनार/सिंपोजियम में सीएए अधिकारियों की भागीदारी	29
(ix)	खाद्य और पशुचिकित्सा कार्यालय (एफवीओ) मिशन की बैठक में भागीदारी	31
(x)	प्राधिकरण के लिए स्वीकृत स्टाफ की भर्ती	31
(xi)	सीएए के लिए मुख्यालय स्थापित करना	31
(xii)	वेबसाईट का अद्यतन	31
(xiii)	सूचना का अधिकार अधिनियम	31
	ख. 2010–11 के दौरान संभावित रूप से आरंभ किए जाने वाली गतिविधियां	32
IV.	**वित्त**	
	विगत वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तविक वित्तीय परिणामों व गतिविधियों का सारांश	34
V.	**प्राधिकरण के कर्मचारी व मौजूदा संगठनात्मक संरचना**	36

CONTENTS

Sl. No.	Subject	Page
Preface		
I.	**Composition, Operational Goals and Objectives of the Authority**	
(i)	Composition of the Authority	41
(ii)	Aims & Objectives of the Authority	42
(iii)	Powers and Functions of the Authority	43
(iv)	Regulation of SPF *Litopenaeus vannamei* Culture in India	44
II.	**Targets and Performances**	
(i)	Annual Targets	46
(ii)	Brief review of actual performance	47
III.	**A. Activities & Achievements**	
(i)	Meetings of the Authority and Committees constituted by the Authority/Ministry	48
(ii)	Registration of Shrimp Farms	53
(iii)	Registration of Hatcheries	58
(iv)	SPF *L. vannamei* Culture – the present status	59
(v)	Additional accommodation for CAA	64
(vi)	Setting up of Laboratory in the Technical Section at the office of CAA at Vepery	64
(vii)	Outreach Activities where CAA officers were involved	64
(viii)	Participation of CAA officers in Meetings/Seminars/ Symposium organised by other organizations	67
(ix)	Participation in the meetings of Food and Veterinary Office Mission	68
(x)	Recruitment of staff sanctioned for the Authority	69
(xi)	Setting up of Headquarters for CAA	69
(xii)	Website updation	69
(xiii)	Right to Information Act	69
	B. Activities likely to be taken up during 2010-2011	69
IV.	**Finance**	
	Summary of actual financial results and activities during the previous financial year	71
V.	**Staff and existing organizational structure of the Authority**	72

डॉ न्यायमूर्ति ए.क. राजन
अध्यक्ष
Dr. Justice A.K. RAJAN
CHAIRMAN

दूरभाष / Phone : (O) +91 44 2823 4672
(R) +91 44 2622 3322
फेक्स / Fax : +91 44 2821 6552
ई-मेइल / e-mail : aquaauth@vsnl.net
वेब सैट / website : http://www.caa.gov.in

सत्यमेव जयते

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार. कृषि मत्रांलय
शास्त्री भवन अनेक्स. दूसरी मंजिल.
सं. 26, हडोस रोड़. चेन्नै- 600 006,
तमिलनाडु. भारत.

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
Government of India, Ministry of Agriculture
Shastri Bhavan Annexe, 2nd Floor,
No. 26, Haddows Road, Chennai - 600 006.
Tamilnadu, INDIA.

प्राक्कथन

लवणीय अथवा खारा जल, जिसे तटवर्ती जलकृषि के रूप में जाना जाता है, जलकृषि उत्पादो के निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा की पर्याप्त राशि का अर्जन करने के अलावा भारत के लोगों की खाद्य और पौषणिक आवश्यकता की पूर्ति करने में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यद्यपि तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण का प्राथमिक उत्तरदायित्व सतत जलकृषि को बनाए रखना, पर्यावरण के संरक्षण का सुनिश्चय करना है, फिर भी प्राधिकरण यह देखने के लिए प्रतिबद्ध है कि कृषि भूमि अथवा नमक खेतों को जलकृषि फार्मों के रूप में न बदला जाए। तटवर्ती क्षेत्रों में बंजर भूमि को जलकृषि फार्मों के रूप में बदला जा रहा है और उससे यह भूमि भी लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करने में अपनी भूमिका निभाती है। भारतीय तटों पर बंजर भूमि की भारी मात्रा को देखते हुए जलकृषि फार्मों के क्षेत्र को बढ़ाने की काफी गुंजाइश है। प्राधिकरण मौजूदा और भावी किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करके तटीय क्षेत्र के लोगों को शिक्षित करने के लिए काफी प्रयास कर रहा है। वायरल महामारी के विगत अनुभव, जिसने कुछ हद तक जलकृषि को प्रभावित किया था, ने अब किसानों को वैज्ञानिकों द्वारा उपलब्ध् कराई गई विशेषज्ञता सलाह का अनुसरण करने में मदद की है। वे अब यह महसूस करते हैं कि विनायमक उपाय उनकी मदद करते हैं और उनके लिए अच्छे हैं।

उत्पादो के व्यापार में हाल ही का वैश्यीकरण कई नए मसलों को सामने लाया है जैसे की उत्पाद की पहचान, खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से जलकृषि की कड़ी गुणवत्ता विशेषकर एंटीबायोटिक, भारी धातु और कीटनाशक के अपशिष्ट, रोग प्रसारण आदि जिस सब के लिए इस क्षेत्र के वास्ते एक ठोस विनायमक ढांचे की जरूरत है और तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा चलाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रम इन समस्याओ का पर्याप्त रूप से समाधान करते हैं।

भारत सरकार ने झींगा के विदेशी किस्म–लिटोपेनियस वैन्नामई के पालन की तत्काल अनुमति दी, तटीय जलकृषि प्राधिकरण ने ब्रूड स्टाक के आयात की अनुमति, बीजों के उत्पादन और एल वैन्नामई के पालन के लिए किसानो को अनुमति देने के लिए तत्काल कार्यवाही की। किसानो की प्रतिक्रिया भी बहुत अच्छी रही। यह भी एक अच्छी बात है कि जो कई झींगा फार्म कुछ वर्ष पहले बंद हो गए थे, उन्होंने भी झींगा की नई किस्म को पालना शुरू कर दिया है। आने वाले वर्षों में जलकृषि उत्पादों का उत्पादन कई गुणा बढ़ने की उम्मीद है। वास्तव में इसकी वजह से स्थानीय मांग काफी हद तक पूरी हुई है। झींगा के अलावा किसानों द्वारा मछली की अन्य किस्मों तथा केकड़ों का भी पालन किया जा रहा है।

प्राधिकरण शून्य जल विनिमय प्रणालियों की संकल्पना शुरू करने की भी कोशिश कर रहा है जिससे जल की आवश्यकता भी कम होगी और अपशिष्टों का डिस्चार्ज न्यूनतम हो जाएगा। आने वाले वर्षों में अधिक क्षमता वाले क्षेत्रों के तटवर्ती जलकृषि के तहत आने की संभावना है। इस वर्ष बड़ी संख्या में फार्मों को पंजीकृत किया गया था।

तथापि, रोग निवारण के प्रयोजन के लिए पाले गए जलीय स्टाक से, ब्रूड स्टाक सुविधाओं में, जलीय संगरोध, हैचरियों और फार्मों में तथा समूचे क्षेत्र से विशिष्ट पैथोजन को अलग करने के लिए जैव सुरक्षा की संकल्पना को अत्यन्त सावधानी से लागू किए जाने की आवश्यकता है। यद्यपि एल वैन्नामई जैसी प्रजातियों के वाणिज्यिक पालन में लगाए गए जैव सुरक्षा उपायों से शुरूआत में कुछ कठिनाई आ सकती है किन्तु दीर्घ काल में इसके लाभ मिलेंगे।

प्राधिकरण हैचरी आपरेटरों को एक साथ मिलने और उत्पादकता बढ़ाने में अपने–अपने अनुभवों का आदान–प्रदान कराने में भी मदद करता है। इसी प्रकार किसानों की बैठकें भी आयोजित की जाती हैं जिससे किसान फार्मिंग की व्यावहारिक कठिनाईयों को समझने और उन कठिनाईयों को दूर करने के तरीकों को समझते हैं।

माननीय कृषि मंत्री श्री शरद पवार और माननीय कृषि राज्य मंत्री प्रो. के.वी. थामस द्वारा दिए गए सक्रिय और निर्बाध समर्थन की वजह से ही तटीय जलकृषि प्राधिकरण का कार्यकरण सफल हो सका जिसके लिए मैं उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूं। प्राधिकरण के सुचारू कार्यकरण में मंत्रालय, विशेषकर उत्तरवर्ती सचिवों तथा संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी) और उनके अधिकारियों ने भी अपना सक्रिय समर्थन दिया जिसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं।

25.11.2010

(डा. न्यायमर्ति ए.के.राजन)

I. प्राधिकरण का संगठन, परिचालन लक्ष्य तथा उद्देश्य

तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित तटीय जलकृषि प्राधिकरण दिसम्बर, 2005 में अपने प्रारंभ से ही देश के तटवर्ती क्षेत्रों (उच्च ज्वारभाटा सीमा से दो किलोमीटर के भीतर लवणीय तथा खारा जल जलकृषि) में तटीय जलकृषि से संबंधित समस्त गतिविधियों को विनियमित करने का कार्य कर रहा है ताकि तटीय वातावरण को बिना नुकसान पहुंचाए सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके।

(i) प्राधिकरण का संगठन

प्राधिकरण में 2009–10 के दौरान निम्नलिखित सदस्य रहेः

1. **न्यायमूर्ति डा. ए. के. राजन** — **अध्यक्ष**
   मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश
   (उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश)

2. **डा. ए. जी. पोन्नय्या** — **सदस्य**
   निदेशक, केन्द्रीय खारा जल जलकृषि संस्थान, चेन्ने
   (तटीय जलकृषि के क्षेत्र के विशेषज्ञ)

3. **श्री पी. मदेश्वरन** — **सदस्य**
   पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार
   (तटीय पारिस्थितिकी के क्षेत्र के विशेषज्ञ)

4. **डा. डी. डी. बसु** — **सदस्य**
   केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
   (पर्यावरण संरक्षण प्रदूषण के क्षेत्र के विशेषज्ञ)

5. **श्री तरूण श्रीधर, आई.ए.एस.** — **सदस्य**
   संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी)
   पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग
   (कृषि मंत्रालय भारत सरकार के प्रतिनिधि)

6. **सुश्री लीना नायर, आई.ए.एस** — **सदस्य**
   अध्यक्ष, समुद्री उत्पाद विकास प्राधिकरण
   (**श्री जी. मोहन कुमार, आई.ए.एस.**–अप्रैल, 2009 तक)
   (वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार के प्रतिनिधि)

7. **श्री जी. मोहन कुमार, आई.ए.एस.** **सदस्य**
   प्रधान सचिव (मत्स्यपालन तथा पशु संसाधन विभाग)
   उड़ीसा सरकार
   (**श्रीमती मधुर सारंगी, आई.ए.एस**–जुलाई, 2009 तक)
   (उड़ीसा सरकार के प्रतिनिधि)

8. **श्री ज्योति लाल, आई.ए.एस.** **सदस्य**
   अपर मुख्य सचिव (सामान्य प्रशासन तथा मत्स्यपालन)
   सचिव (परिवहन तथा मत्स्य पालन)
   केरल सरकार
   (**डा. पी. प्रभाकरन, आई.ए.एस,** फरवरी, 2010 तक)
   केरल सरकार के प्रतिनिधि

9. **श्री तपन मंडल, आई.ए.एस** **सदस्य**
   विकास आयुक्त, कृषि मत्स्यपालन,
   पशुपालन तथा पशुचिकित्सा सेवाएं
   अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के सं.शा.क्षेत्र प्रशासन
   (अंडमान एवं निकोबार के द्वीपसमूह के सं.शा.क्षेत्र प्रशासन के प्रतिनिधि)

10. **श्री पीतांबर एम.तंडेल** **सदस्य**
    करवार, कर्नाटक (कर्नाटक राज्य के प्रतिनिधि)

11. **डा. आर. पाल राज** **सदस्य सचिव**
    (केन्द्र सरकार द्वारा नामित सदस्य)

(ii) प्राधिकरण के लक्ष्य तथा उद्देश्य

प्राधिकरण के उद्देश्य केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित तटवर्ती क्षेत्रों में सभी तटीय जलकृषि गतिविधियों को तथा इससे संबंधित सभी मामलों को विनियमित करना है। प्राधिकरण को तटवर्ती क्षेत्रों में जलकृषि फार्मों के निर्माण और संचालन के लिए विनियम बनाने, फार्मों के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करने के लिए उनका निरीक्षण करने, जलकृषि फार्मों के पंजीकरण, प्रदूषण फैलाने वाले तटवर्ती जलकृषि फार्मों को हटाने अथवा नष्ट करने तथा सभी तटीय जलकृषि आगतों जैसे बीज, बीज वृद्धि उपकरण तटीय जलकृषि में प्रयुक्त रसायन/दवाईयां इत्यादि के लिए मानकों को तय करने की शक्ति दी गई है।

(iii) प्राधिकरण की शक्तियां तथा कार्य

तटीय जलकृषि प्राधिकरण निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करता है :

तटीय जलकृषि क्षेत्र के सुव्यवस्थित तथा सतत विकास के लिए विनियम बनाता है ताकि इस गतिविधि में संलग्न विभिन्न अंशधारकों के सामाजिक–आर्थिक लाभ के लिए पर्यावरण अनुकूल तथा समाज स्वीकृत तटीय जलकृषि की ओर उन्मुख हुआ जा सके। प्राधिकरण की शक्तियां तथा कार्य तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 के अध्याय–IV तथा तटीय जलकृषि प्राधिकरण विनियम में विनिर्दिट हैं।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण का प्रमुख दायित्व देश में सभी प्रकार के तटीय जलकृषि फार्मों का पंजीकरण सुनिश्चित करना है। यह एक सतत प्रक्रिया है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, प्राधिकरण द्वारा अनेक उपाय आरंभ किए जा रहे हैं।

तटीय क्षेत्रों में जलकृषि करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने फार्म का तटीय जलकृषि प्राधिकरण में पंजीकरण कराएं। पंजीकरण पांच (5) वर्ष की अवधि के लिए किए जाते हैं जो आगे नवीनीकृत किए जा सकते हैं। भविय में तटीय जलकृषि गतिविधियों को ध्यान मे रखते हुए पंजीकरण प्रक्रिया को नए फार्मों के लिए तथा मरम्मत किए जाने वाले पुराने फार्मों के लिए जारी रखा जा सकता है। तटीय विनियम जोन के भीतर हाई टाइड लाइन और खाड़ियों में, नदियों तथा पश्च जल से 200 मीटर के भीतर जलकृषि की अनुमति नहीं है। तथपि, यह शर्त तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 के विधिकरण से पहले स्थापित मौजूदा फार्मों तथा सरकार द्वारा अथवा सरकार के किसी भी अनुसंधान संस्थान द्वारा संचालित गैर वाणिज्यिक तथा प्रयोगात्मक जलकृषि फार्मों पर लागू नहीं है। यद्यपि ऐसे सभी फार्म तटीय जलकृषि प्राधिकरण के पास पंजीकृत होने चाहिए। ऐसे पंजीकरण के बिना किसी व्यक्ति द्वारा तटीय जलकृषि करने पर उसे कारावास का दंड जिसे तीन वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना अदा करना पड़ेगा जिसे एक लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों दंड भुगतने पड़ेगे। सीएए की सहायता तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण से संबंधित मामलों में तटीय राज्यों में गठित राज्य स्तरीय समिति (एस.एल.सी.) तथा जिला स्तरीय समितियों (डी.एल.सी.) द्वारा की जाती है।

सीएए को यह भी करना होगाः

- यह सुनिश्चित करना कि तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले तटवर्ती समुदाय की आजीविका को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कृषि भूमि, लवण पटल जमीन, कच्छीय वन, नम जमीन, वन भूमि, गांव की आम प्रयोजन की भूमि तथा सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि और राष्ट्रीय उद्यानों तथा मृग वनों को जलकृषि फार्मों में परिवर्तित न किया जाए;

- समूचे तटीय क्षेत्र का सर्वेक्षण करना तथा पारिस्थितिकी अनुकूल विकास हासिल करने के लिए उचित नीति तैयार करने हेतु केन्द्रीय सरकार तथा राज्य/संघ क्षेत्र सरकारों को सलाह देना;
- सामान्य अवसंरचना लाईक, सामान्य जल अंतर्ग्रहण, निकासी नहर एवं सार्वजनिक बहिस्राव उपचार प्रणाली के निर्माण के लिए राज्य/संघ क्षेत्र सरकारों को सलाह एवं समर्थन देना;
- बीज, आहार, वृद्धि संवर्धकों तथा जल निकायों एवं पाले गए जीवों एवं अन्य जलजीव के रखरखाव के लिए प्रयुक्त रसायनों/दवाओं के लिए मानक निर्धारित करना;
- तटीय जलकृषि से संबंधित आंकड़ों एवं अन्य वैज्ञानिक तथा सामाजिक–आर्थिक सूचना एकत्रित एवं वितरित करना;
- तटीय जलकृषि के सतत विकास एवं तटीय जलकृषि के क्रियाकलापों से संबंधित सामग्री तैयार करना;
- तटीय संसाधनों की सतत उपयोगिता तथा न्याय संगत एवं उचित हिस्सेदारी के संबंध में प्रचार करना तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना;
- तकनीकी मैनुअल तैयार करने के लिए विभिन्न तकनीकी समितियां, उप–समितियां, कार्य दल आदि गठित करना;
- तटीय पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों को कम से कम करने के लिए आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए फार्म के मालिकों को निर्देश देना;
- सततता को सुनिश्चित करने के लिए; या पर्यावरणीय चिरस्थाईता को बनाए रखने के हित में एवं तटीय पर्यावरण के हित में आजीविका के संरक्षण के लिए मौसमी बंदी का आदेश देना;
- किसी भी व्यक्ति द्वारा गलत सूचना देकर या पंजीकरण के प्रमाणपत्र में उल्लिखित शर्तों या उन नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करके प्राप्त किए गए पंजीकरण को रद्द करना;
- तटीय जलकृषि प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिए भर्ती नियम बनाना; तथा वेतन, छुट्टी, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों को निर्धारित करना;
- समय–समय पर दिशानिर्देशों में संशोधन करने के लिए सरकार को उचित सिफारिशें देना।

(iv) एसपीएफ एल.वन्नामई कल्चर का भारत में विनियमन:

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने पशुधन आयात अधिनियम, 1898 के तहत जारी 15.10.2008 की अधिसूचना द्वारा तटीय जलकृषि प्राधिकरण को चुनिन्दा सप्लायरों से एसपीएफ एल. वन्नामई के ब्रूड स्टॉक के आयात के लिए अनुमति देने के लिए प्राधिकृत किया है। नीलांकरई, चेन्नई

में इस प्रयोजन के लिए एक जलीय संगरोध केन्द्र स्थापित किया गया है जिसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की धनराशि से राजीव गांधी जलकृषि केन्द्र (आर.जी.सी.ए.) द्वारा संचालित किया जाता है। तटीय जलकृषि प्राधिकरण जलीय संगरोध के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को तेजी से अंतिम रूप दे रही थी। जलीय संगरोध के क्रियाकलापों का निरीक्षण तथा अनुवीक्षण करने के लिए पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 35029/13/2008 मा0(टीएंडई) दिनांक 2.6.2009 के तहत तकनीकी समिति का गठन किया गया है। तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2009 के तहत एल.वन्नामई को प्रस्तुत करने के लिए हैचरियों तथा फार्मों को विनियमित करने के लिए गजट अधिसूचना 30.4.2009 को जारी की गई ।

इस अधिसूचना के अनुसार, तटीय जलकृषि प्राधिकरण में एल.वन्नामई के कल्चर तथा प्रजनन से संबद्ध हैचरियों तथा फार्मों की जैव सुरक्षा आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिए एक निरीक्षण टीम का गठन किया गया है। एसपीएफ एल.वन्नामई ब्रूडस्टाक के आयात के लिए हैचरियों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए गठित समिति द्वारा हैचरियों को स्वीकृति प्रदान की गई है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग की दिनांक 18.12.2009 की दूसरी गजट अधिसूचना के दिशानिर्देशों के अनुसार, एसपीएफ एल.वैन्नामई के कल्चर के लिए फार्मों को प्राधिकरण द्वारा जारी अनुमति के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत निरीक्षण टीम की अनुशंसाओं पर सदस्य सचिव (तटीय जलकृषि प्राधिकरण) द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

II. लक्ष्य तथा कार्य निष्पादन

(i) वार्षिक लक्ष्य

- उपयुक्त निर्णय लेने के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकरण की कम सें कम छह बैठकें आयोजित करना।
- तटीय जलकृषि फार्मों का पंजीकरण तथा उनका नवीनीकरण एक सतत प्रक्रिया है जिसका न तो लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है और न ही परिणाम बताया जा सकता है। डीएलसी तथा एसएलसी से प्राप्त सभी आवेदन संसाधित किए गए हैं तथा जो आवेदन उपयुक्त पाए गए हैं प्राधिकरण के अनुमोदन के लिए रखे गए हैं। प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किए जाने पर पंजीकरण प्रमाणपत्र तत्काल जारी किए जाते हैं।
- प्राधिकरण, नए तथा मरम्मत किए गए फार्मों सहित देश के तटीय क्षेत्रों मे स्थित सभी तटीय जलकृषि फार्मों का पंजीकरण करने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी कदम उठा रहा है।
- नई गतिविधियों के मामले में, जैसे, एसपीएफ एल.वन्नामई कल्चर का वर्ष 2009–10 में लगभग 1000 हैक्टेयर क्षेत्र का कवर करने का अनंतिम लक्ष्य तय किया है। जलीय संगरोध के अतिरिक्त एसपीएफ एल.वैन्नामई बीज उत्पादन तथा कृषि कार्य संबंधी दिशानिर्देश, वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान प्रकाशित किए गए।
- एसपीएफ एल वैन्नामई के ब्रूडस्टाक के संभावनापूर्ण वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं की सूची को अंतिम रूप देने से पहले सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी। ब्रूड स्टाक आपूर्तिकताओं की सूची बनाने के लिए तकनीकी समिति की एक बैठक आयोजित की जाएगी और तब सूची को अंतिम रूप देने का कार्य पूरा किया जाएगा।
- ब्रूड स्टाक के आयात और एसपीएफ बीज के उत्पादन के लिए पर्याप्त जल सुरक्षा सुविधाओं के साथ उत्तरव्यापी हैचरियों के स्वामियों की सूची तैयार करने से पहले आवेदन आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी।
- वे किसान जो अपने फार्मों में पर्याप्त जैव सुरक्षा सुविधाओं और बेहतर उपचार व्यवस्था के बाद एसपीएफ एल वैन्नामई के पालन के इच्छुक है उन्हें अनुमति देने के लिए आवेदन आमंत्रित करने के उद्देश्य से सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी

- बीज उत्पादन और एसपीएफ एल वैन्नामई पालन के लिए प्राप्त आवेदन की प्रक्रिया बिना किसी विलंब के आरंभ की जाएगी।
- सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण दल द्वारा हैचरियों और फार्मों का निरीक्षण किया जाएगा।
- निरीक्षण दल द्वारा सिफारिश किए गए आवेदनों पर मंजूरी प्रदान करने के लिए तुरंत विचार किया जाएगा।
- हैचरियों और फार्मों की निगरानी सावधिक रूप से की जाएगी।
- संगरोध संबंधी क्रियाकलाप की समीक्षा के लिए तकनीकी समिति की बैठक सावधिक रूप से आयोजित की जाएगी।
- चैन्नई में वेपेरी स्थित तटीय जलकृषि प्राधिकरण के तकनीकी अनुभाग में जल गुणवत्ता प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी।
- पालकों को हैचरियों के पंजीकरण, एसपीएफ एल वैन्नामई पालन और प्रतिबंधित दवाओं के मुद्दों और अन्य महत्वपूर्ण बातों के विषय में जागरूक बनाने के लिए चुनिंदा तटवर्ती राज्यों में जब जैसी आवश्यकता हो जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

(ii) वास्तविक कार्य निष्पादन की संक्षिप्त समीक्षा

- अप्रैल, 2009 से मार्च, 2010 के बीच प्राधिकरण की 6 बैठकें हो चुकी है। एसएलसी/डीएलसी से प्राप्त झींगा फार्म के पंजीकरण के लिए सभी 6465 आवेदनों पर स्वीकृति के लिए विचार किया गया। प्राधिकरण ने 6378 आवेदनों को अनुमोदन प्रदान किया जबकि शेष आवेदनों को सुधार के लिए वापिस भेज दिया। सभी 6378 अनुमोदित फार्मों को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए।
- उद्देश्य के लिए गठित समिति के निरीक्षण दल की रिपोर्ट के आधार पर चालू वर्ष के दौरान तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा 15 हैचरियों को स्वीकृति दी गई (विगत वर्ष के दौरान 9 हैचरियों को स्वीकृति प्रदान की गई थी) जिसके परिणामस्वरूप कुल 30,600 ब्रूड स्टाक को आयात करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं की अनुमोदित सूची से एसपीएफ एल वैन्नामई के ब्रूड स्टाक के आयात के लिए कुल अनुमोदित हैचरियों की संख्या 24 हो गई है।

- एसपीएफ एल वैन्नामई फार्मों से के पालन के लिए फार्मों से प्राप्त आवेदनों की जांच और निरीक्षण दल की रिपोर्ट के आधार पर 1112.08 हैक्टेयर जलीय क्षेत्र वाले 107 फार्मों को इस वर्ष एसपीएफ एल वैन्नामई के पालन की अनुमति जारी की गई।

- अनुमानित, 310.69 मिलियन पी.एल. एसपीएफ एल. वन्नामई का उत्पादन पंजीकृत हैचरी द्वारा अनुमोदित सिरम्प फार्म को इस अवधि के दौरान आपूर्ति की गई।

- रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान कुल एसपीएफ एल वैन्नामई का उत्पादन 705.72 टन दर्ज किया गया। इस प्रकार औसत उत्पादकता कुल मिलाकर 2.27 से 10.72 टन प्रति हैक्टेयर प्रति क्राप रहा।

- एसपीएफ एल वैन्नामई के पालन में जैव सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं के बारे में किसानों को जागरूक करने के लिए मार्च, 2010 तक राज्य मात्स्यिकी विभागों के साथ मिलकर 9 जागरूकता कार्यक्रम (गुजरात में 3, आन्ध्र प्रदेश में 3, तमिलनाडु में 2 और महाराष्ट्र में 1) कार्यक्रम आयोजित किए गए और इन कार्यशालाओं में 516 पालकों ने भाग लिया।

- जलीय संगरोध सुविधाओं के संचालन की देखरेख और निगरानी के लिए सदस्य सचिव (तटीय जलकृषि प्राधिकरण) की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति ने इस अवधि के दौरान 4 बैठकें की हैं और सुविधा के सुचारू संचालन के लिए उपयुक्त निर्णय लिए।

III. क. क्रियाकलाप व उपलब्धियां

(i) प्राधिकरण और प्राधिकरण द्वारा गठित समितियों की बैठक

चालू वर्ष अर्थात् अप्रैल, 2009–मार्च, 2010 के दौरान सीएए में तीन अन्य बैठकों के अलावा 6 नियमित बैठकें कीं। बैठकों व उनमें लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का संक्षिप्त ब्यौरा सारणी–1 में दर्शाया गया है। पंजीकरण के लिए दिए गए आवेदनों को स्वीकृति प्रदान करने के अलावा प्राधिकरण ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे हैचरियों की पंजीकरण प्रक्रिया की समीक्षा, ईयू मिशन के झींगा संबंधी एंटीबायोटिक अपशिष्टों के विषय में सिफारिश, फार्मों के पंजीकरण के लिए एकत्रित फीस के उपयोग के लिए मानक, फार्मों के गंदे जल रिसाव की निगरानी, प्रोबायोटिक्स के लिए मानकों का निर्धारण, केन्द्र सरकार द्वारा तटीय जलकृषि प्राधिकरण के खाते में निधियों के आवंटन किए जाने में प्रक्रियात्मक बदलाव और तटीय जलकृषि प्राधिकरण के वित्तीय स्वायत्तता के संदर्भ में अधिनियमों, नियमों व दिशानिर्देशों में संशोधन की आवश्यकता आदि पर विचार–विमर्श किया।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण की बैठक
(अप्रैल 2009–मार्च 2010)

बैठक	तारीख और स्थान	बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
21वीं	22मई, 2009 चैन्नई	• 596 झींगा पालकों को पंजीकरण की स्वीकृति • झींगा पालन फार्मों के पंजीकरण के लिए एकत्र फीस के उपयोग के लिए राज्य स्तरीय समितियों (डीएलसी) और सीएए के लिए मानकों को स्वीकृति। • झींगा फार्मों के पंजीकरण की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के लिए सभी डीएलसी और एसएलसी को पत्र भेजा गया। • सलाहकार के रूप में श्री जी डी चन्द्रपाल के कार्यकाल को एक वर्ष यानि 15 मार्च, 2009 तक के लिए बढ़ाया गया। • श्री डी विंसेन्त को 6 महीने यानि 1 सितम्बर, 2009 तक के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गया।

बैठक	तारीख और स्थान	बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
22वीं	12 अगस्त, 2009 कोची	• 1578 झींगा पालकों के पंजीकरण को मंजूरी दी गई। • ब्रूड स्टाक के आयात के लिए 24 हैचरियों को अनुमति और एसपीएफ एल वन्नामई के बीज उत्पादन को अनुसमर्थित किया गया है। • एसपीएफ एल वैन्नामई के आयात के लिए हैचरियों को अनुमति प्रदान करने और जलकृषि किसानों द्वारा एसपीएफ एल वैन्नामई पालन के लिए भविष्य में लागू की जाने वाली प्रक्रियाओं ; एसपीएफ एल वैन्नामई फार्मों के लिए निरीक्षण दल का गठन। • 4 झींगा फार्मों को (डब्लयू एसए–133.95 है.) एसपीएफ एल वैन्नामई पालन के लिए अनुमति। • एम्पेडा द्वारा हैचरियों के पंजीकरण को रद्द करने के खिलाफ दायर अपील में तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम और नियमों के संबंध में स्पष्टीकरण।
23 वीं	13 अक्टूबर, 2009 चैन्नई	• वर्ष 2008–09 की वार्षिक रिपोर्ट को अनुमोदित किया गया है। • 664 झींगा फार्मों के पंजीकरण को मंजूरी। • 6 झींगा फार्मों (डब्ल्यूएसए–121.42 है.) को एसपीएफ एल वैन्नामई पालन के लिए अनुमति प्रदान की गई। • कृषि मंत्रालय द्वारा सहायता अनुदान के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। • आन्ध्र प्रदेश में एसपीएफ एल वैन्नामई के अवैध पालन के खिलाफ जिला कलैक्टर के माध्यम से उसके पालन को बंद कराना आरंभ किया गया और की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट सूचना के लिए प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई। • सामूहिक फार्मों द्वारा ईटीएस के संयुक्त प्रचालन संबंधी स्पष्टीकरण।

बैठक	तारीख और स्थान	बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
24 वीं	16 दिसम्बर, 2009 चैन्नई	• 677 झींगा पालन फार्मों के पंजीकरण को अनुमोदन प्रदान किया गया। • एसपीएफ एल वैन्नामई के पालन के लिए 18 झींगा फार्मो (डब्ल्यूएसए– 241.80 है.) को अनुमति प्रदान की गई। • तटीय जलकृषि प्राधिकरण के तकनीकी अनुभाग में जल गुणवत्ता निगरानी प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। • एसपीएफ एल वैन्नामई के अवैध पालन के संबंध में आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट की समीक्षा की गई। • ईएमपी मैनुअल विकसित करने के लिए केन्द्रीय खारा जलकृषि संस्थान के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।
25 वीं	9 फरवरी, 2010 चैन्नई	• 1056 झींगा पालन फार्मों के पंजीकरण को अनुमोदन प्रदान किया गया। • एसपीएफ एल वैन्नामई के पालन के लिए 25 झींगा फार्मों (डब्ल्यूएसए– 1,138.29 है) को अनुमति प्रदान की गई। • एंटीबायोटिक अपशिटों के संबंध में एम्पैडा से प्राप्त रिपोर्टों पर कार्यवाही करने के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण के विनियमों के अनुसार कार्यवाही के अनुपालन पर जोर डाला गया।

बैठक	तारीख और स्थान	बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
26 वीं	25 मार्च, 2010 नई दिल्ली	• 1807 झींगा पालन फार्मों के पंजीकरण को अनुमोदन प्रदान किया गया। • एसपीएफ एल वैन्नामई के पालन के लिए 54 झींगा फार्मों (डब्ल्यूएसए–476.62 है.) को अनुमति प्रदान की गई। • संकल्प लिया गया कि सीएए के अध्यक्ष सीएए जांच समिति की रिपोर्ट के प्रकाश में 5 हैचरियों की अपील पर विचार करें और जिन 5 हैचरियों के प्रजीकरण के मामले में निर्णय ले और इस संबंध में एम्पेडा को सूचित करें। • पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ संबंधी भुगतान के लिए एक अलग पेंशन निधि बनाने और मासिक अंशदान जमा करने के लिए जीपीएफ और सीपीएफ के लिए प्रत्येक खाते के प्रचालन के लिए प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

केन्द्रीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा आयोजित अन्य बैठक/सेमिनार (अप्रैल 2009–मार्च 2010)

क्र. सं.	बैठक का नाम	तारीख और स्थान	महत्वपूर्ण चर्चाएं/ निर्णय
1.	तटीय जलकृषि में प्रयुक्त होने वाले प्रोबायोटिक्स के लिए मानक तय करने के लिए पणधारियों के साथ विचारोत्तेजक सत्र	19.6.2009 सीएए, चैन्नई	विनिर्मिताओं के पंजीकरण, जलीय प्रोबायोटिक्स के लिए अलग मानक, आहार प्रोबायोटिक्स, पहचान किए गए प्रयोगशालाओं में उत्पादों की जांच, प्रमाणीकरण आदि जैसे मानक तय करने वाले प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। उपसमिति के समक्ष इसे प्रस्तुत करने के लिए सदस्यों से इन मुद्दों को दस्तावेजित करने के लिए उपलब्ध सूचनाएं भेजने के लिए कहा गया।

क्र. सं.	बैठक का नाम	तारीख और स्थान	महत्वपूर्ण चर्चाएं/ निर्णय
2.	एसपीएफ एल वैन्नामई के जलीय संगरोध के लिए एसओपी पर चर्चा करने के लिए पणधारियों की बैठक	22.6.2009 सीआईबीए, चैन्नई	संगरोध अवधि को कम करने के लिए अनुरोध, संगरोध फीस, स्थान का आवंटन, पैथोजीन्स के लिए पशुओं की जांच, कंटेनरों को नष्ट करने का तरीका, हैचरियों में जैवसुरक्षा कायम रखने के लिए विनिर्दिष्ट सुरक्षा पर चर्चा की गई।
3.	जलीय संगरोध सुविधा की देखरेख और उसके कार्यकलाप और निगरानी रखने के लिए तकनीकी समिति की पहली बैठक	2.7.2009 सीएए, चैन्नई	संगरोध फीस 4000/– रुपए प्रति क्यूबिकल्स तय किया गया। संगरोध प्रमाणपत्र स्टाक की रोग मुक्त स्थिति के बारे में पशुपालन संगरोध द्वारा पुष्टि के बाद पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के जलीय संगरोध अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। सीआईबीए ओआईई की सूची में शामिल रोगों की पुष्टिकारी जांच के लिए नामित प्रयोगशाला होगी।
4.	जलीय संगरोध सुविधा की देखरेख और उसके कार्यकलाप और निगरानी रखने के लिए तकनीकी समिति की दूसरी बैठक	8.9.2009 सीएए, चैन्नई	संगरोध अवधि को घटाकर पांच दिनों का कर दिया गया। पशु संगरोध यूनिट पैकेज सामग्रियों को जलाकर नष्ट करने के लिए आयातकों से 500/– रुपए की राशि फीस के रूप में लेगा।
5.	बीज की बिक्री, रिकार्ड अनुरक्षण इत्यादि के तरीकों की समीक्षा करने के लिए अंशधारकों की बैठक	17.11.2009 सीएए, चैन्नई	हैचरी प्रचालक एसपीएफ एल.वैन्नामई के बीज केवल उन फार्मों को बेच सकते हैं जिन्हें एल.वैन्नामई कल्चर की अनुमति सीएए द्वारा प्राप्त है तथा बीजों के उत्पादन, बिक्री आदि का रिकार्ड रखना होगा। उन्हें एसपीएफ स्थिति, बिक्री किए गए बीजों की गुणवत्ता, पंजीकरण तथा फार्मों का अनुमति विवरण इत्यादि से संबंधित प्रमाणपत्र जारी करना होगा।

ब्रडस्टाक आपूर्तिकर्ताओं की सूची को अंतिमरूप देने की बैठक

एल.वी. पालन की अनुमति देने हेतु बैठक

क्र. सं.	बैठक का नाम	तारीख और स्थान	महत्वपूर्ण चर्चाएं/ निर्णय
6.	जलीय संगरोध सुविधा के क्रियाकलापों के निरीक्षण तथा अनुवीक्षण वाली तकनीकी समिति की तीसरी बैठक	8.12.2009 सीएए, चैन्नई	संगरोध को बंद करने की अवधि हैचरियों के बंद होने की अवधि के साथ मेल खाने के लिए प्रत्येक वर्ष, 30 दिन के लिए नवम्बर माह में संगरोध को बंद करने की अवधि कर दी गई है। एक ही स्रोत से बहुल खेप जिसमें एक से अधिक आयातक संलग्न है की अनुमति नहीं दी जाएगी।
7.	जलीय संगरोध पर तकनीकी समिति की चौथी बैठक	12.3.2010 सीएए, चैन्नई	पल्लीकरणई स्थित पशु संगरोध इकाई में भस्मी करण की प्रक्रिया पर विचार किया गया तथा जब तक वैकल्पिक तरीके पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता तब तक वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी।
8.	अप्रैल 2010–मार्च, 2011 के दौरान एसपीएफ एल.वैन्नामई के ब्रूडस्टाक के आयात के लिए हैचरियों को अनुमति प्रदान करने के लिए गठित कमेटी की बैठक।	30.3.2010 सीएए, चैन्नई	2010–11 की अवधि की बीज आवश्यकताओं के लिए 2000 हैक्टेयर में भंडारण। अंडों की संख्या की गिनती भी की गई। वे हैचरियां जिन्हें ब्रूडस्टाक के आयात के लिए पहले अनुमति दी गई थी परन्तु वे कार्रवाई नहीं कर पाई, उन पर वर्तमान में विचार नहीं किया गया।

फीड स्टेंन्ड्र नियत बैठक

हैचरी प्रचालक बैठक

ब्रीडस्टाक आपूर्तिकर्ताओं को सूची को अंतिम रूप देने हेतु बैठक

(ii) झींगा फार्मों का पंजीकरण

- राज्य और जिला स्तरीय समितियों, जिन्हें इसी कार्य के लिए गठित किया गया है, उनकी सिफारिशों पर झींगा फार्मों का पंजीकरण कार्य सीएए द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण कार्य है।
- प्राधिकरण ने हर दो महीनों में एक बार नियमित रूप से हुई अपनी बैठक में झींगा फार्मों के पंजीकरण के लिए जिला स्तरीय समितियों और राज्य स्तरीय समितियों द्वारा सिफारिश किए गए आवेदनों पर विचार किया और मार्च, 2010 तक (सीएए के आरंभ होने से) झींगा पालन के पंजीकरण के लिए अनुमोदन प्रदान कर 18,215 प्रमाण पत्र जारी किए।
- सभी 12 समुद्रतटीय राज्यों में प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्रों की कुल संख्या को दर्शाने वाला विवरण सारणी–1 में दिया गया है और प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत क्षेत्रवार फार्मों को दर्शाने वाला चार्ट भी आरेख 1 में दिया गया है। सीएए ने झींगा फार्मों के पंजीकरण पर डाटाबेस को पूरा कर लिया है जो प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध है। पंजीकृत फार्मों का विवरण भी उपयोगकर्ताओं के लिए प्राधिकरण की वेबसाईट पर उपलब्ध करवाया गया है, जिसे समय–समय पर अद्यतन किया जाता है।

सारणी:1 सीएए द्वारा 26 वीं बैठक (दिसम्बर, 2005–मार्च, 2010) जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्रों का विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	कुल क्षेत्र (हैक्टेयर में)					
		0.00 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	40.00 से अधिक	कुल
1	प. बंगाल	946	143	0	0	0	**1,089**
2	उड़ीसा	1,920	335	19	3	0	**2,277**
3	आंध्र प्रदेश	11,194	868	75	29	9	**12,175**
4	तमिलनाडु	725	514	100	13	1	**1,353**
5	पुदुचेरी	1	1	0	0	0	**2**
6	केरल	267	74	12	2	0	**355**
7	कर्नाटक	228	36	2	2	0	**268**
8	गोवा	15	10	1	1	0	**27**
9	महाराष्ट्र	67	105	22	17	4	**215**
10	गुजरात	122	318	1	0	1	**442**
11	दमन एवं दीव	0	12	0	0	0	**12**
12	अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	**0**
	कुल	**15,485**	**2,416**	**232**	**67**	**15**	**18,215**

- प्राधिकरण ने कुल 6378 आवेदन पर विचार तथा अनुमोदन किया। पंजीकरण प्रमाणपत्र सभी कृषकों को सदस्य संयोजक, एस.एल.सी/डी. एस.सी. द्वारा जारी किया गया।
- विवरण दरशाते हुए जिसमें प्राधिकरण ने 12 तटीय राज्यों में पंजीकृत फार्म का विवरण तेबल 2 में दिया गया है। राज्यों के हिसाब से सी.ए.ए. के पंजीकृत झींगा फाम का विवरण अंक 3 से 11 में दिया गया है।

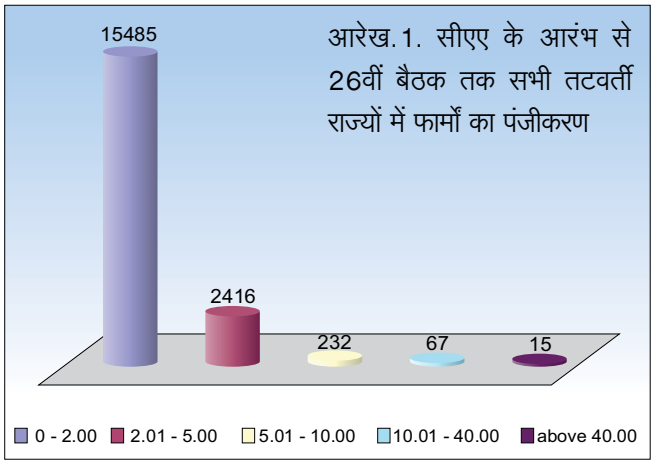

आरेख.1. सीएए के आरंभ से 26वीं बैठक तक सभी तटवर्ती राज्यों में फार्मों का पंजीकरण

सारणी: 2. अप्रैल,2009–मार्च 2010 के दौरान सभी तटीय राज्यों में फार्मों का पंजीकरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	कुल क्षेत्र (हैक्टेयर में)					
		0.00 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	40.00 से अधिक	कुल
1	प. बंगाल	321	41	0	0	0	**362**
2	उड़ीसा	1,101	187	16	5	3	**1,312**
3	आंध्र प्रदेश	3,409	321	52	19	4	**3,805**
4	तमिलनाडु	136	70	6	1	0	**213**
5	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	**0**
6	केरल	177	60	15	2	0	**254**
7	कर्नाटक	45	17	1	0	0	**63**
8	गोवा	2	7	2	1	0	**12**
9	महाराष्ट्र	22	45	1	13	7	**88**
10	गुजरात	88	181	0	0	0	**269**
11	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	**0**
12	अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	**0**
	कुल	**5,301**	**929**	**93**	**41**	**14**	**6,378**

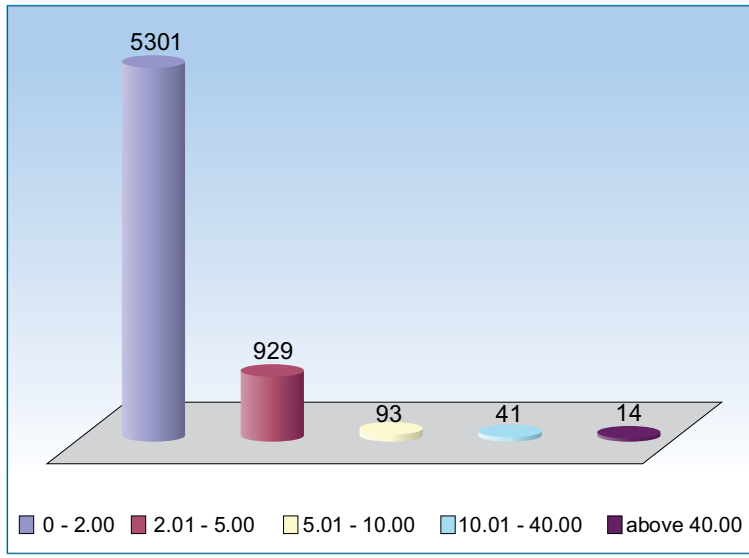

आरेख.2 अप्रैल,2009–मार्च 2010 के दौरान सभी तटीय राज्यों में फार्मों का पंजीकरण

वर्ष 2009–10 के दौरान सीएए में पंजीकृत झींगा फार्मों का राज्यवार ब्यौरा (आरेख 3 से 11)

पश्चिम बंगाल

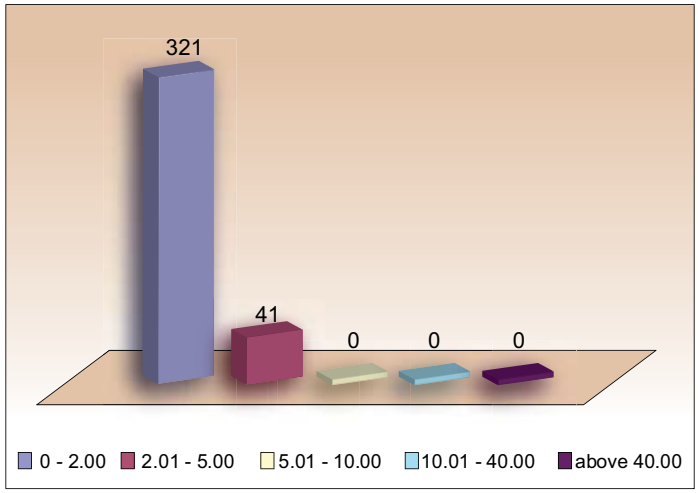

क्षेत्र (हैक्टेयर में)	फार्मों की संख्या
0 - 2.00	321
2.01 - 5.00	41
5.01 - 10.00	0
10.01 - 40.00	0
40.00 से अधिक	0
कुल	**362**

उड़ीसा

क्षेत्र (हैक्टेयर में)	फार्मों की संख्या
0 - 2.00	1,101
2.01 - 5.00	187
5.01 - 10.00	16
10.01 - 40.00	5
40.00 से अधिक	3
कुल	1,312

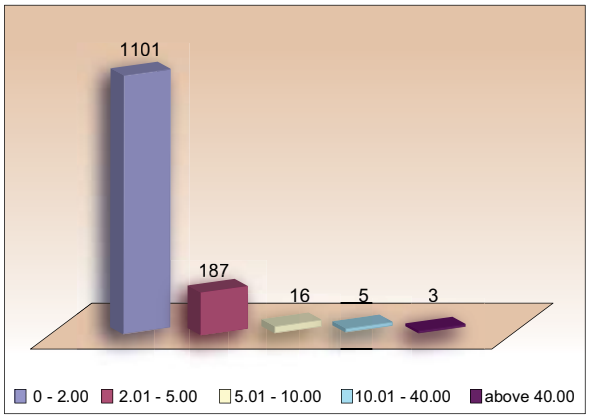

आंध्र प्रदेश

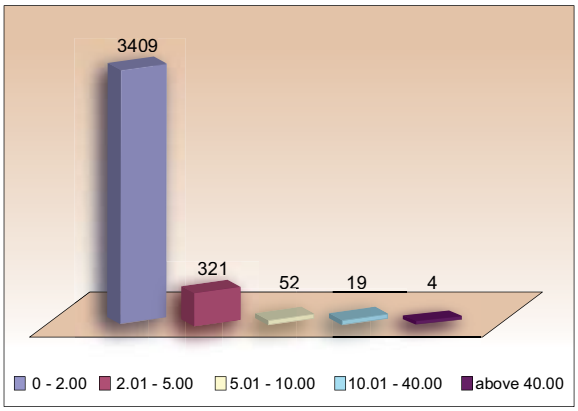

क्षेत्र (हैक्टेयर में)	फार्मों की संख्या
0 - 2.00	3,409
2.01 - 5.00	321
5.01 - 10.00	52
10.01 - 40.00	19
40.00 से अधिक	4
कुल	3,805

तमिलनाडु

क्षेत्र (हैक्टेयर में)	फार्मों की संख्या
0 - 2.00	136
2.01 - 5.00	70
5.01 - 10.00	6
10.01 - 40.00	1
40.00 से अधिक	0
कुल	213

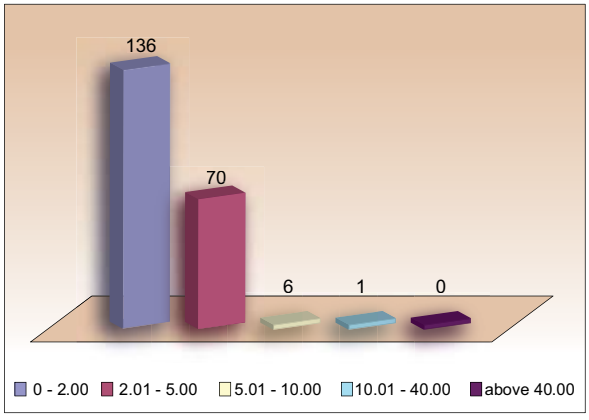

केरल

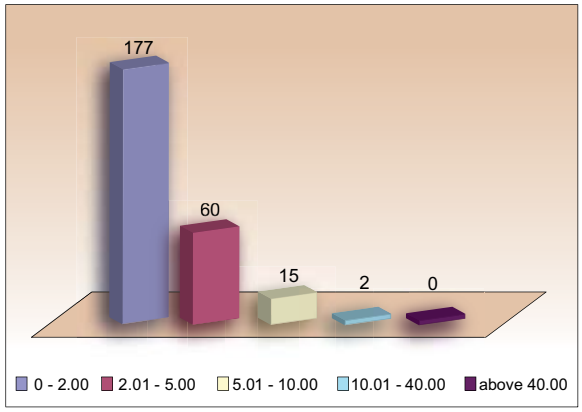

क्षेत्र (हैक्टेयर में)	फार्मों की संख्या
0 - 2.00	177
2.01 - 5.00	60
5.01 - 10.00	15
10.01 - 40.00	2
40.00 से अधिक	0
कुल	254

कर्नाटक

क्षेत्र (हैक्टेयर में)	फार्मों की संख्या
0 - 2.00	45
2.01 - 5.00	17
5.01 - 10.00	1
10.01 - 40.00	0
40.00 से अधिक	0
कुल	63

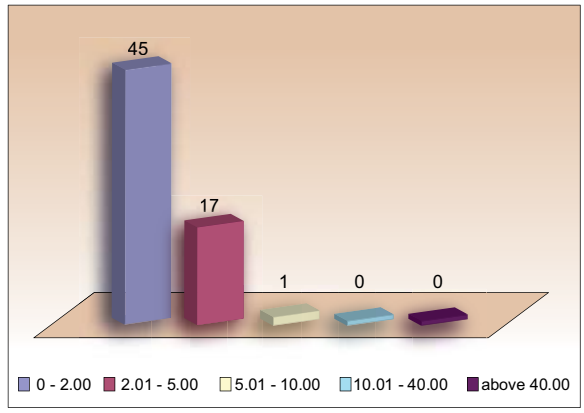

गोवा

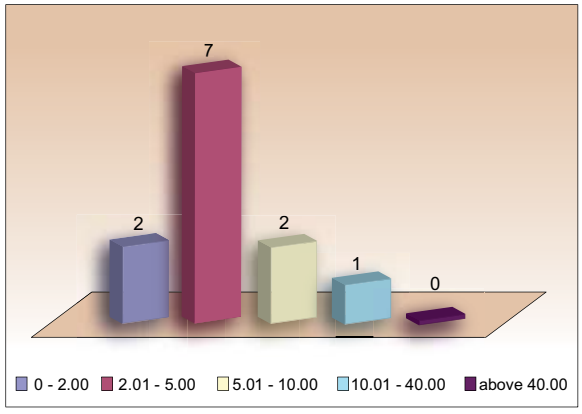

क्षेत्र (हैक्टेयर में)	फार्मों की संख्या
0 - 2.00	2
2.01 - 5.00	7
5.01 - 10.00	2
10.01 - 40.00	1
40.00 से अधिक	0
कुल	12

महाराष्ट्र

क्षेत्र (हैक्टेयर में)	फार्मों की संख्या
0 - 2.00	22
2.01 - 5.00	45
5.01 - 10.00	1
10.01 - 40.00	13
40.00 से अधिक	7
कुल	**88**

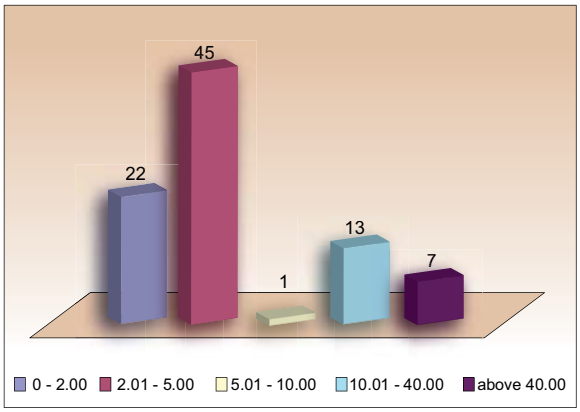

गुजरात

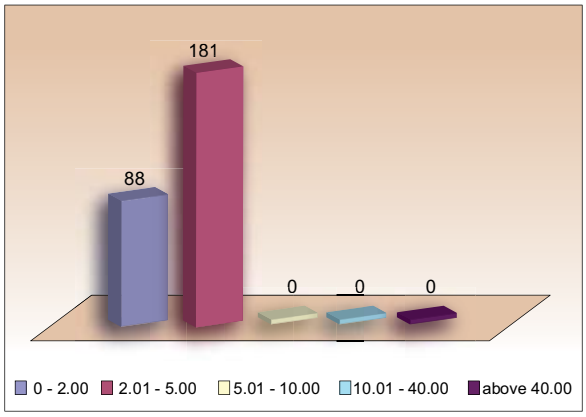

क्षेत्र (हैक्टेयर में)	फार्मों की संख्या
0 - 2.00	88
2.01 - 5.00	181
5.01 - 10.00	0
10.01 - 40.00	0
40.00 से अधिक	0
कुल	**269**

(iii) हैचरियों का पंजीकरण

भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों (सं.7.1) के अनुसार झींगा हैचरियों के पंजीकरण के लिए आवेदन समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पेडा) को जमा कराए गए और एम्पेडा द्वारा गठित हैचरी निरीक्षण समिति द्वारा हैचरियों का निरीक्षण और संवीक्षा करने के बाद एम्पेडा द्वारा अस्थायी पंजीकरण किया जाता है और हैचरियों की सूची तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण को समीक्षा करने के लिए भेजी जाती है, जिन्हें अंतिम अनुमोदन के लिए प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। झींगा हैचरियों को पंजीकृत करने के लिए हैचरी मालिकों को जानकारी देने के लिए व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया गया था। अब तक, एम्पेडा द्वारा लगभग 150 हैचरियों को अस्थायी रूप से पंजीकृत किया गया है। एम्पेडा द्वारा हैचरियों के पंजीकरण के लिए सभी आवेदनों को मूल रूप से संवीक्षा और समीक्षा के लिए सीएए को भेजे जाने के लिए कहा जाएगा। सभी हैचरियों के पंजीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए एम्पेडा द्वारा निर्धारित नई और पुनरूद्धार की गई हैचरियों के पंजीकरण के लिए समय सीमा को अलग रखा गया है।

(iv) एसपीएफ एल.वन्नामई पालन – वर्तमान स्थिति

- सीएए एसपीएफ ए.वन्नामई (ब्रूडस्टॉक की गुणवत्ता, आयात, बीज उत्पादन और पालन) के लिए दिशानिर्देश तैयार करके एनएफडीबी से वित्तीय सहायता के साथ नीलकरई, चेन्नई में जलकृषि के लिए में स्थापित जलीय संगरोध सुविधा को प्रचालित करने में निकटता से लगा हुआ था।
- सीएए ने सीआईबीए, एनएफबीडी और एम्पेडा जैसे अन्य संबंधित संगठनों के साथ परामर्श में संभावित आपूर्तिकर्ताओं के साथ गहन विचार विमर्श कर आनुवंशिक आधार पर रोग की स्थिति के आधार पर एसपीएफ एल वन्नामई ब्रूडस्टाक के आपूर्तिकर्ता को चुनने का कार्य किया।
- पोस्ट लार्वा के उत्पादन और बिक्री के साथ–साथ ब्रूडस्टाक एल वन्नामई के आयात के लिए उपयुक्त हैचरियों को चुनने के लिए भी यही प्रक्रिया की गई थी।
- सीएए ने सीबा के सहयोग से हैचरियों और फार्मों के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं।; आवेदन का फार्मेट भी तैयार किया गया और वेबसाइट में रखा गया है। आवेदनों की गहन संवीक्षा के बाद, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा हैचरियों का निरीक्षण किया गया।
- अनुमोदन जारी करने से पहले फार्म साइट, सुविधाओं इत्यादि का निरीक्षण किया गया और उसके बाद फार्मों का चुनाव किया जाएगा।

एल.वन्नामई के बीज उत्पादन तथा ब्रूडस्टाक आयात के लिए अपनाई गई प्रक्रियाएं

- कृषि मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दिशानिर्देश के अनुसार, तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण को एसपीएफ एल.वन्नामई ब्रूडस्टाक के आयात के लिए और बिक्री के लिए पोस्टलार्वा उत्पादन के लिए हैचरियों को अनुमति प्रदान करने का कार्य सौंपा गया था।
- तद्नुसार, सीएए ने एनएफडीबी, सीआईबीए और एम्पेडा से परामर्श के बाद विश्वव्यापी स्तर पर विज्ञापन के जरिए एसपीएफ एल वन्नामई के छः ब्रूडस्टाक आपूर्ति करने वालों की पहचान की, जिनसे हैचरी मालिकों को ब्रूडस्टाक के आयात के लिए अनुमति दी गई है।
- एसपीएफ एल. वन्नामई के पालन के लिए हैचरी मालिकों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए प्रमुख समाचार पत्रों में भी एक विज्ञापन जारी किया गया था तथा सुविधाओं के निरीक्षण के आधार पर प्रजनन तथा ब्रूडस्टाक के आयात की अनुमति 24 हैचरियों को जारी की गई।

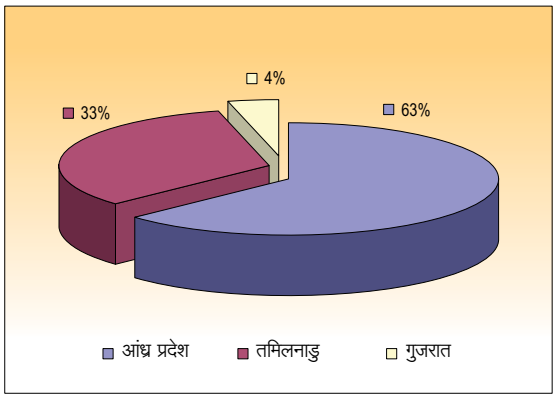

आरेख.12 एसपीएफ एल. वैन्नामई हैचरियों के राज्यवार वितरण एल. वन्नामई हैचरी का अन्दर का दृष्य

- हैचरियों की छंटनी के लिए एक तकनीकी मूल्यांकन समिति का गठन किया गया। 50 आवेदन प्राप्त हुए और संवीक्षा करने के बाद, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग द्वारा गठित निरीक्षण समिति ने दो आवेदनों को निरस्त किया तथा 48 हैचरियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण समिति की सिफारिशों के आधार पर, एसपीएफ एल वन्नामई के बीज उत्पादन और ब्रूडस्टॉक के आयात के लिए 24 हैचरियों (आन्ध्र प्रदेश में 15, तमिलनाडु में 8 तथा गुजरात में 1) को अनुमोदन प्रदान किया गया।
- अनुमति पत्र (एलओपी) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के दिशानिर्देशों में दिए गए निबंधन एवं शर्तों के अनुसार उन्हें जारी किए गए जिन्हें एसपीएफ एल वन्नामई के आयात तथा बीज उत्पादन की अनुमति का सुझाव कमेटी ने दिए थे।

एसपीएफ एल.वैन्नामई पालन के लिए झींगा फार्मों को अनुमति

एसपीएफ एल. वैन्नामई पालन के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए फार्मों का निरीक्षण करने के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा एक निरीक्षण दल स्थापित किया गया।

निरीक्षण के जरिए सत्यापित एल. वैन्नामई पालन के लिए जैव सुरक्षा अपेक्षाएं इस प्रकार हैः–

(i) फार्मों की फेंसिंग (केकड़ा फेंसिंग सहित);

(ii) जलाशयों के जरिए जल भराव;

(iii) पक्षियों के लिए डरावा/नेटिंग लगाना;

(iv) अपशिष्ट उपचार प्रणाली स्थापित।

निरीक्षण समिति की सिफारिशों के आधार पर और सदस्य सचिव, सीएए द्वारा और आगे विचार करने पर प्रस्ताव को विचार करने के लिए प्राधिकरण के समक्ष रखा गया था। सीएए के अनुमोदन के अनुसार, संबंधित कृषकों को अनुमति पत्र (एलओपी) जारी किया गया था। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान अनुमति प्रदान की गई फार्मों का राज्यवार विवरण चित्र–3 में दिया गया।

सारणि 3: अप्रैल 2009–मार्च 2010 के दौरान अनुमति प्रदान की गई फार्मों का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	फार्मों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	87
2.	तमिलनाडु	06
3.	महाराष्ट्र	10
4.	गुजरात	04

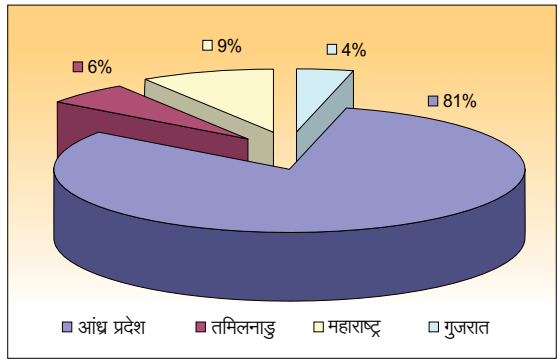

आरेख.13 अप्रैल 2009–मार्च 2010 के दौरान अनुमति प्रदान की गई फार्मों का राज्यवार विवरण

एसपीएफ एल. वैन्नामई हैचरियों और फार्मों की मानिटरिंग

- सीएए अधिकारियों द्वारा एसपीएफ एल. वैन्नामई बीज उत्पादन के लिए सीएए द्वारा अनुमति प्रदान की गई कुल तेरह (13) हैचरियों (तमिलनाडु में आठ और आन्ध्र प्रदेश में पांच) की मानिटरिंग की गई।
- रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, सीएए के अधिकारियों द्वारा एसपीएफ एल. वैन्नामई पालन के लिए आन्ध्र प्रदेश में सीएए द्वारा अनुमति प्रदान की गई, तीन (3) फार्मों की मानिटरिंग की गई।
- उत्पादन सुविधाओं का निरीक्षण किया गया और रिकार्ड को भी सत्यापित किया गया । कृषि मंत्रालय के दिनांक 1 मई, 2009 को जारी दिशानिर्देश संख्या 259 के अनुसार हैचरियों और फार्मों का सुचारू रिकार्ड बनाए रखने का सुझाव दिया गया था।

एल. वन्नामई का बायोसिक्योड फार्म का दृश्य

फार्मों की फेंसिंग (केकदा पालन सहित)

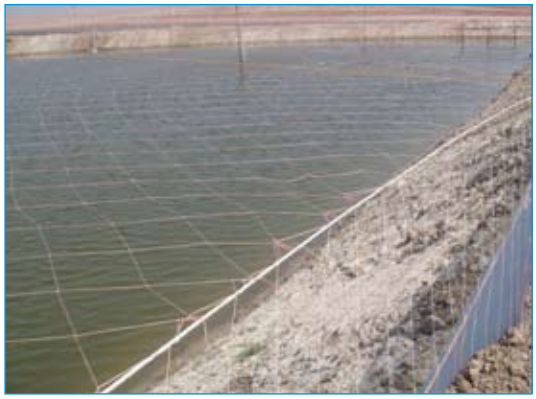

एल. वन्नामई फार्म में पक्षियों की नेटिंग

एल. वन्नामई फार्म में पक्षियों के लिए डरावा

रिसोवियर बैफल सहित

कॉमन सप्लाई कैनल

फार्म में इनलेट पाईप फिल्टर बैग

फार्म में ईटीएस

हारवेस्ट बैग नेट द्वारा

हारवेस्ट ड्रैग नेट द्वारा

चिल किलिंग आप हारवेस्टेड सिरिम्प

फार्म फ्रेश हारवेस्टेड एल. वन्नामई

(v) सीएए कार्यालय के लिए अतिरिक्त स्थानः

वेपेरी, चेन्नई में स्थित सीएए के लिए परिसर को जून, 2009 में लीज पर लिया गया था। इस परिसर में प्राधिकरण का तकनीकी अनुभाग है और इसी परिसर में एक जल गुणवत्ता प्रयोगशाला को भी स्थापित किया जा रहा है।

(vi) सीएए के तकनीकी शाखा में प्रयोगशाला स्थापित करनाः

तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 में निर्धारित मानक को सुनिश्चित करने के लिए हैचरियों और फार्मों के अपशिष्ट जल की नियमित मानिटरिंग के लिए सीएए के तकनीकी शाखा में सीएए द्वार एक जल गुणवत्ता प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। अधिकतर प्रयोगशाला उपकरणों के लिए निविदा द्वारा आर्डर किए गए थे।

(vii) बाहरी गतिविधियां जिसमें सीएए अधिकारी शामिल थेः

इनफिश –2009 में सीएए की भागीदारी

एक विस्तार क्रियाकलाप के रूप में, सीएए ने हैदराबाद में 11 से 13 जुलाई, 2009 के दौरान राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) द्वारा आयोजित इनफिश–2009 में भाग लेकर स्टाल लगाया है। जलकृषि में एंटिबायोटिक्स, रसायन और औषधियों के प्रयोग पर जागरूकता लाने सहित उपयोगकर्ताओं के लाभ के लिए झींगा पालकों द्वारा झींगा पालन में अपनाए जाने वाले अध्यादेश, कार्य और अच्छी प्रबंधन प्रणाली का स्टाल में प्रदर्शन किया गया था।

इनफीश–2009 में समापन भाषण देते हुए अध्यक्ष महोदय, सीएए

इनफीश–2009 के सीएए के स्टाल में अध्यक्ष महोदय, सी.ए.ए. तथा सी.इ., एनएफडीबी.

इनफीश–2009 में सीएए के स्टाल

सीएए द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रम

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान सीएए द्वारा नौ रिपोर्टाधीन कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। विवरण इस प्रकार हैं :

- गुजरात के जिलों (19.5.2009 को वीरावल, 20.5.2009 को नवासरी और 21.5.2009 को सूरत) में जागरूकता कार्यक्रम जिसमें 136 कृषक, एम्पेडा और राज्य मात्स्यिकी अधिकारियों ने भाग लिया।
- आन्ध्र प्रदेश के दो जिलों में (21.10.2009 कोटा और नेल्लोर और 22.10.2009 में ओंगले) तीन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसमें 207 कृषक और एम्पेडा और राज्य मात्स्यिकी अधिकारियों ने भाग लिया।
- तमिलनाडु के दौ जिलों (4.11.2009 में नागापट्टिनम और 5.11.2009 पुद्दकोटई) में दो जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे जिसमें कुल मिलाकर 143 कृषक और राज्य मात्स्यिकी अधिकारियों ने भाग लिया था।

सूरत में जागरूकता कार्यक्रम

नेल्लोर में जागरूकता कार्यक्रम

नागपट्टिनम् में जागरूकता कार्यक्रम

कोटा में जागरूकता कार्यक्रम

- 9.12.2009 को अलीबाग महाराष्ट्र में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें 30 कृषकों और एम्पेडा और महाराष्ट्र राज्य मात्स्यिकी अधिकारियों ने भाग लिया था।
- सेंवेदिता कार्यक्रम 11.12.2009 को पणजी, गोवा में आयोजित किया गया जिसमें कुल 38 सदस्य जिसमें कृषक, गोवा और कर्नाटक राज्य के अधिकारी, एम्पेडा के अधिकारी तथा डीएलसी व एसएलसी सदस्यों ने भाग लिया।

रायगढ़ में जागरूकता कार्यक्रम

गोवा में संवेदिता कार्यक्रम

पट्टुकोटई में जागरूकता कार्यक्रम

जागरूकता कार्यक्रम के दौरान, एसपीएफ एल. वैन्नामई की शुरूआत करने के लिए सीएए अधिनियम, 2005 की विभिन्न पहलुओं, लक्ष्यों, उद्देश्यों, तटीय जलकृषि प्राधिकरण के कार्य, एंटिबायोटिक अपशिट, उत्तरादायी जलकृषि के आचार संहिता और हैचरियों को विनियत्रित करने के लिए कृषकों को उनकी स्थानीय भाषा में सीएए अधिकारियों द्वारा बताया गया। स्थानीय भाषा में कृषकों को पैम्लेट भी वितरित किए गए हैं।

(viii) अन्य संगठनों द्वारा आयोजित बैठक्/सेमिनार/सिम्पोसियम में सीएए अधिकारियों की भागीदारी

- अध्यक्ष सीएए द्वारा एनएफडीबी द्वारा 11–13 जूलाई 2009 के दौरान आयोजित इनफीश–2009 में समापण भाषण दिया।
- सदस्य सचिव ने 4 मार्च, 2010 को सीआईएफए, भुवनेश्वर में हुई अनुसंधान सलाहकार समिति की बैठक में भाग लिया।
- सदस्य सचिव ने 3 मार्च, 2010 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड द्वारा आयोजित एसपीएफ एल. वैन्नामई के लिए मोआना जम्प स्टार्ट कार्यक्रम और मल्टीप्लीकेशन केन्द्र से संबंधित कार्यकारी समिति, एनएफडीबी द्वारा आयोजित उप समिति की बैठक में भाग लिया था।
- सदस्य सचिव ने कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोची में 10 और 11 फरवरी, 2010 को हुई जलकृषि और मात्स्यिकी में अपशिष्ट प्रबंधन पर इंडो यूरोपीय कार्यशाला में भाग लिया।
- सदस्य सचिव ने कृषि भवन, नई दिल्ली में 3 और 4 जनवरी, 2010 को श्रीकाकुलम में राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड द्वारा वित्तपोषित एसपीएफ झींगा बीज मल्टीप्लीकेशन केन्द्र से संबंधित राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड द्वारा आयोजित बैठक में भाग लिया।
- सदस्य सचिव ने 18 दिसम्बर, 2009 को केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान में व्यवसायिक विकास कार्यक्रम के रूप में तटीय जलकृषि के लिए विनियामक ढांचा पर व्यख्यान दिया।
- सदस्य सचिव ने 7 दिसम्बर, 2009 को नई दिल्ली में 13वीं राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड की कार्यकारी समिति की बैठक में भाग लिया।
- सदस्य सचिव ने 6 अक्टूबर, 2009 को कृषि भवन, नई दिल्ली में हुई राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के 14वीं कार्यकारी समिति की बैठक में भाग लिया।
- सदस्य सचिव ने सम्मेलन कक्ष, भारतीय नियात निरीक्षण परिषद, एनडीवाईएमसीए सांस्कृतिक केन्द्र भवन, नई दिल्ली में जीवित पशुओं में अपशिष्ट और संक्रमण नियंत्रण से संबंधित 16 सितम्बर, 2009 को भारतीय एफवीओ मिशन की आरंभिक बैठक में भाग लिया।
- सदस्य सचिव ने राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड द्वारा 31 जुलाई, 2009 को हैदराबाद में आयोजित की गई जम्प–स्टार्ट कार्यक्रम के अंतर्गत एसपीएफ बीज के लिए मूल्य निर्धारण बैठक में भाग लिया।
- सदस्य सचिव सीएए ने हैदराबाद में 11–13 जुलाई, 2009 के दौरान एनएफडीबी द्वारा आयोजित इनफिश–2009 महोत्सव भाग लिया
- सदस्य सचिव ने 4 और 5 जुलाई, 2009 को भुवनेश्वर में हुई राज्य मात्स्यिकी मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया।

- सदस्य सचिव ने भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा 12 मई, 2009 को दिल्ली में हुई पशुचिकित्सा और फाइटोस्वच्छता निगरानी के लिए रशिया फेडरल सेवा से प्रतिनिधियों के साथ आरंभिक बैठक में भाग लिया।
- निदेशक, सीएए ने 26–31 अक्टूबर, 2009 को चैन्नई में हुई तटीय जलकृषि पर उद्यमी विकास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया और तटीय जलकृषि के सतत विकास के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण दिशानिर्देशों विषय पर प्रस्तुतीकरण दिया।
- निदेशक, सीएए ने 30.9.2009 को काकिनाडा, आन्ध्र प्रदेश में हुई राष्ट्रीय सतत जलकृषि केन्द्र की तीसरी वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लिया।
- निदेशक, सीएए ने 22–23 सितम्बर, 2009 को चैन्नई में मौसम विभाग द्वारा आयोजित तमिलनाडु में सतत खाद्य सुरक्षा के लिए एग्रो मेटिओरोलाजी और स्पेस टेक्नोलोजी में हाल ही की प्रगति पर राज्य स्तरीय सेमिनार में भाग लिया।
- निदेशक, सीएए ने 30.7.2009 को सीआईबीए, चैन्नई में हुई खारा जल जलकृषि की पर्यावरणीय सततता पर कार्यशाला में भाग लिया।
- सहायक निदेशक, सीएए ने 28 नवम्बर, 2009 को आरजीसीए द्वारा आयोजित जलीय संगरोध सुविधा के लिए कम्प्यूटरीकृत मानिटरिंग प्रणाली पर विचार विमर्श करने के लिए पणधारियों की बैठक में भाग लिया।
- सहायक निदेशक, सीएए ने 25.11.2009 को कोचीन में एम्पेडा और इनफोफिश, मलेशिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित अर्गोनिक जलकृषि उत्पादन और उत्पाद विपणन कार्यशाला में भाग लिया।
- सहायक निदेशक, सीएए ने बीओबीपी–आईजीओ, चैन्नई द्वारा 21 जून से 4 जुलाई, 2009 की अवधि तक चैन्नई और मुम्बई में आयोजित की गई उत्तरदायी मात्स्यिकी के लिए आचार संहिता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।
- निदेशक, सहायक निदेशक और वरिठ तकनीकी सहायक, सीएए ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा 11–13 जुलाई, 2009 के दौरान हैदराबाद हुई इनफिश–2009 भारतीय मत्स्य महोत्सव में भाग लिया।
- निदेशक और वरिठ तकनीकी सहायक, सीएए ने सीआईबीए द्वारा 1.7.2009 को ओंगले में आयोजित की गई फार्म में अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों के लिए जलीय परामर्शदाताओं के साथ सहभागिता पर विचारोवेश कार्यशाला में भाग लिया।
- निदेशक, सहायक निदेशक, परामर्शदाता, सीएए और वरिठ तकनीकी सहायक, सीएए ने 5–8 जनवरी, 2010 के एनआईओटी और एनआईओटी, पल्लिकनोई, चैन्नई द्वारा लाब्सटर बायोलाजी, जलकृषि और प्रबंधन (आरएएलबीएएम 2010) पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया।

(ix) खाद्य और पशुचिकित्सा कार्यालय (एफवीओ) मिशन की बैठक में भागीदारी

तटीय जलकृषि प्राधिकरण केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत निर्यात निरीक्षण परिद द्वारा आयोजित यूरोपीय संघ से एफवीओ मिशन के दौरे (15–25 सितम्बर, 2009) में शामिल रहे हैं। सदस्य सचिव ने आरंभिक और अंतिम बैठक में भाग लिया और तटीय फार्मों के पंजीकरण, नमूना एकत्रीकरण और एंटीबायोटिक अपशिष्ट के लिए परीक्षण संबंधी प्रावधानों को स्पट किया जैसा कि तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम। नियम एवं विनियमन में प्रदान किया गया है। सीएए ने एफवीओ मिशन की सिफारिशों को सक्रिय रूप से क्रियान्वित किया जैसा कि कार्ययोजना में शामिल है और इस संदर्भ में अपेक्षित ईआईसी तकनीकी आदान प्रदान किया जिसमें ईयू सिफारिशों के अनुपालन में कानूनी सहयोग शामिल हैं।

(x) प्राधिकरण के लिए स्वीकृत स्टाफ की भर्ती

प्राधिकरण द्वारा तैयार विनियमों में कर्मचारियों के लिए भर्ती, अर्हताओं इत्यादि की प्रक्रिया दी गई है, सलाहकार/परामर्शदाता इत्यादि को मार्च, 2008 में मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया। तदुपरान्त, प्राधिकरण ने सभी खाली पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया आरंभ कर दी थी और अब तक 9 नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। अन्य पदों को भरने का कार्य प्रगति पर है।

(xi) सीएए के लिए मुख्यालय स्थापित करना

अध्यक्ष, चेन्नई में सीएए मुख्यालय के लिए स्थायी भवन के निर्माण के लिए लीज पर भूमि आवंटन के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार से संपर्क कर रहे हैं।

(xii) वेबसाईट का अद्यतन

सीएए अधिसूचना, परिपत्र, विज्ञापन और जनहित से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों वाले वेबसाईट को नियमित रूप से अद्यतन करता रहा है।

(xiii) सूचना का अधिकार अधिनियम

वर्ष 2009–10 के दौरान आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

ख. 2010–11 के दौरान संभावित रूप से आरंभ की जाने वाली गतिविधियां

सीएए तटीय जलकृषि के पंजीकरण का अपना मुख्य कार्य करना जारी रखेगा और इस प्रक्रिया में यह इस बात को सुनिश्चित करेगा कि ऐसे किसी भी जलकृषि फार्म, जो तटीय पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है या जो जिम्मेदार तटीय जलकृषि की संकल्पनाओं के विरूद्ध है, को देश के तटीय क्षेत्रों में स्थापित होने या अस्तित्व में रहने की अनुमति नहीं दी जा रही है। एल.वन्नामई की एसपीएफ बीज का उत्पादन और सरकार द्वारा अधिसूचित दिशा–निर्देशों के तदनुसार इसका पालन का ध्यान रखा जाएगा। वित्तीय वर्ा 2009–10 के दौरान सीएए द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां आरंभ की जाएगी

- **बैठकें :** अनिवार्य रूप से प्राधिकरण की 6 बैठकें आयोजित की जानी चाहिए।
- **फार्मों का पंजीकरण:** यह आशा की जा रही है कि देश के कम से 300 तटीय जलकृषि फार्मों को, इस प्रयोजन से स्थापित की गई जिला स्तरीय समितियों (डीएलसी) और राज्य स्तरीय समितियों (एसएलसी) के प्राप्त सिफारिशों पर पंजीकृत किया जाए। एसपीएफ बीज के उत्पादन के लिए अनुमति प्राप्त एल. वैन्नामई के नस्लों के 24 हैचरियों को पंजीकृत किया जाए।
- **एसपीएफ एल.वैन्नामई पालन के लिए अनुमोदन:** उपलब्ध सुविधाओं के निरीक्षण के बाद एल.वैन्नामई पालन के लिए लगभग 1000 हैक्टेयर तालाब क्षेत्र को अनुमोदित किया जाए।
- **निरीक्षण और मानिटारिंग:** एल.वैन्नामई पालन के अंतर्गत लाए जाने वाले नए क्षेत्र (1000 है.) का पूर्व निरीक्षण किया जाए। विशेष अनुरोध प्राप्त होने के साथ–साथ विभिन्न तटीय राज्यों में तिमाही दौरों के जरिए तटीय जलकृषि सुविधाओं का मानिटरिंग किया जाए। हैचरियों और फार्मों से अपशिट जल के नियमित मानिटरिंग के लिए गुणवत्ता मानिटरिंग प्रयोगशाला स्थापित की जाए।
- **तटीय जलकृषि फार्मों को हटाना/बंद करना:** नियमों का उल्लंधन के संबंध में विशिट प्राप्त होने और तत्वों की पुष्टि होने के बाद ही उन तटीय जलकृषि हैचरियों और फार्मों को हटाया या बंद किया जाए।
- **जलकृषि आदानों के लिए मानक:** वृद्धि अनुपूरक (प्रोबायोक्स) को शामिल करते हुए झींगा आहार के लिए मानक को अंतिम रूप दिया जाए।
- **जागरूकता कार्यक्रम:** सीएए के कार्यकरण और सतत जलकृषि कार्यक्रमों पर प्रत्येक तटीय राज्य में कम से कम एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

- **सार्वजनिक नोटिस जारी करना:** वर्तमान मुद्दों पर और कुछ सुरक्षात्मक उपायों पर पणधारियों को एक जोखिम से अवगत कराने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी किए जाएं। एक समाचार पत्र (द्विवार्षक) भी जारी किया जाएगा।
- **पुस्तिका और विवरणिका:** सीएए की गतिविधियों सार–संग्रह को तीन क्षेत्रीय भाषाओं में निकाला जाएगा। एल.वैन्नामई पालन पर अच्छी प्रबंधन प्रणाली पर पुस्तिका निकाली जाएगी। इसके अतिरिक्त, विभिन्न श्रेणियों के अपशिट उपचार प्रणाली स्थापित करने पर दिशानिर्देशों को समेकित किया जाएगा।
- **कार्यशाला/पणधारियों की बैठक:** सतत पालन प्रणालियों और एल.वैन्नामई जैसे विदेशी झींगा नस्लों के पालन में अनुभव प्राप्त करने के लिए एक कार्यशाला और पणधारियों की बैठक आयोजित की जाएगी।
- सीएए तटीय जलकृषि से संबंधित कार्यशालाओं और प्रदर्शनियों में भाग लेना जिसमें सतत कृषि प्रक्रियाओं को दर्शाया जाएगा ।
- तकनीकी और प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण/अध्ययन दौरे आयोजित किए जाएंगे।

IV. वित्त

विगत वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तविक वित्तीय परिणामों व गतिविधियों का सारांश

तटीय जलकृषि प्राधिकरण के लिए बजट मार्च, 2009 तक पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि मंत्रालय के बजटीय प्रावधानों के तहत प्रदान किया जाता है। लेखों का रख–रखाव वेतन और लेखा कार्यालय, कृषि और सहकारिता विभाग, चेन्नई के द्वारा किया जा रहा है और उन्हें कृषि मंत्रालय के वार्षिक लेखों के साथ समाविष्ट किया जाता है।

सीएए अधिनियम की धारा 16 और 17 के अंनुसार, केन्द्र सरकार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्राधिकरण के कार्यनिपादन और कार्यकरण के लिए आवश्यक धनराशि प्राधिकरण को देनी होगी और प्राधिकरण का अपना कोष होगा और केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर दी गई धनराशि और कोष में बची सभी राशि बैंक खाते में जमा किया जाएगा। तदनुसार, 12 दिसम्बर, 2008 को हुई प्राधिकरण की 19वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि, सीएए को आवंटित धनराशि अब से सहायता अनुदान के रूप में होगा।

कृषि मंत्रालय द्वारा अक्टूबर माह, 2009 में उप–शीर्ष 090031 सीएए को धनराशी सहायता अनुदान के रूप में आबंटित की गई तथा सीएए द्वारा सहायता अनुदान राशी का उपयोग बैंक खाता के माध्यम से जनवरी 2010 माह से शुरू किया गया तथा वर्ष 2009–10 लेखे निर्धारित प्रोफार्मा में सधारित किये जा रहे हैं ।

वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए बजट/प्राक्कलन/संशोधित प्राक्कलन और व्यय इस प्रकार हैः–

मुख्य शीर्ष 2405		उप शीर्ष - **090031** सहायता अनुदान			
क्र.सं.	**संशोधित प्राक्कलन 2009-10**	**विवरण**	**जारी धनराशि (₹)**	**व्यय 31.3.2010 तक (₹)**	**शेष राशि 31.3.2010 तक (₹)**
1	20400000	पीएओ,एमओए, चैन्नई (31 दिसम्बर,09 तक)	1,28,81,567	1,28,81,567	शून्य
		अनुदान सहायता	75,18,000	74,87,826	30,174
	20400000	**कुल**	**2,03,99,567**	**2,03,69,393**	**30,174**

नियंत्रक एक महालेखा परीक्षक (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत वर्ष 2009–2010 सी आड़ित 25 से 27 अक्टूबर, 2010 के मध्य कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सिवील लेखापरीक्षा), तमीलनाडु द्वारा की गई ।

वित्तीय वा 2010–11 के लिए 2,75,00,000/–रुपए (मात्र दो करोड़ पचहत्तर लाख रुपए) की अनुदान सहायता को गैर योजना के अंतर्गत कृषि मंत्रालय द्वारा स्वीकृति दे दी गई है और विभिन्न उपशीर्ष के अंतर्गत ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

क्र.स.	**योजना का नाम**	**उप शीर्ष**	**बजट प्राक्कलन 2010-11**
मुख्य शीर्ष 2405			(₹ में)
1.	तटीय जलकृषि प्राधिकरण	090031 अनुदान सहायता	2,75,00,000
		कुल	2,75,00,000

V. प्राधिकरण के कर्मचारी व मौजूदा संगठनात्मक संरचना

कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से विगत जलकृषि प्राधिकरण के लिए 21 पद सृजित किए थे। इतने ही पदों को तटीय जलकृषि प्राधिकरण में जारी रखा गया है, जिसे दिनांक 22.12.2005 की अधिसूचना के तहत अगले आदेश तक इन्हीं शर्तों और नियमों के तहत स्थापित किया गया था। प्राधिकरण के कर्मियों के लिए भर्ती, योग्यताएं आदि की प्रक्रिया, सलाहकारों/परामर्शदाताओं आदि की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रदान करता है, को अंतिम रूप दे दिया गया था और उन्हें मार्च, 2008 में ही अधिसूचित किया गया था। तत्पश्चात, प्राधिकरण ने सभी रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया आरंभ की और अब तक16 कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति/नियमित आधार पर 31.3.2010 तक नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त दो लिपिक स्टाफ, दो सहायक स्टाफ और एक ड्राइवर की ठेके के आधार पर मानवशक्ति एजेंसियों के जरिए नियुक्ति की गई है। अन्य पदों के लिए चयन का कार्य 2011 तक पूरा हो जाने की आशा है।

सत्यमेव जयते

Annual Report 2009 - 2010

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

Government of India
Ministry of Agriculture
2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe
Chennai - 600 006, Tamil Nadu
Tel. : 91-44-28213785, 28216552 Fax : 044-28216552
E-mail : aquaauth@vsnl.net website: www.caa.gov.in

डॉ न्यायमूर्ते ए.के. राजन
अध्यक्ष
Dr. Justice A.K. RAJAN
CHAIRMAN
दूरभाष / Phone : (O) +91 44 2823 4672
(R) +91 44 2622 3322
फैक्स / Fax : +91 44 2821 6552
ई-मेइल / e-mail : aquaauth@vsnl.net
वेब साईट / website : http://www.caa.gov.in

सत्यमेव जयते

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
शास्त्री भवन अनेक्स, दूसरी मंजिल
सं. 26, हडोस रोड, चेन्नै-600 006,
तमिलनाडु, भारत.
COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
Government of India, Ministry of Agriculture
Shastri Bhavan Annexe, 2nd Floor,
No. 26, Haddows Road, Chennai - 600 006.
Tamilnadu, INDIA.

PREFACE

Saline water or Brackish water aquaculture, which is known as coastal aquaculture, plays a very important role in meeting the food and nutrition requirement of people of India, apart from earning a substantial amount of foreign exchange through export of aquacultural produces. Though the primary responsibility of the Coastal Aquaculture Authority is to maintain sustainable aquaculture, ensuring protection of the environment, the Authority is duty bound to see that agricultural lands or salt pans are not converted as aquaculture farms. The waste land in the coastal area are being converted as aquaculture farms and thereby make those lands also play a part in meeting the people's requirement. Considering the vast extent of waste lands in Indian coasts, there is a good scope for increasing the area of aquaculture farms. The Authority is making earnest efforts to educate the people of coastal area by conducting awareness programmes to the existing and prospective farmers. The past experience of viral epidemic, which affected the aquaculture to some extent, has helped the farmers now to follow the expert advice provided by the scientists. They now realize that the regulatory measures do help them and are good for them.

The recent globalization in trading the products has brought in many new issues such as traceability of the produce, stringent quality profiling of the aquaculture from food safety angle, especially residues of antibiotics, heavy metals and pesticides, disease transmission, etc. all of which call for a sound regulatory framework for this sector and the various programmes undertaken by CAA adequately address these problems.

The Government of India allowed culturing the exotic variety of shrimp – *Litopenaeus vannamei*; immediately, the CAA plunged into action in allowing import of broodstocks, production of seed and granting permission to the farmers to culture SPF *L. vannamei*. The response from the farmers is also very promising. It is heartening to note that many shrimp farms, which were closed a few years back, have also started farming the new variety of the shrimp. The production of aquaculture products is bound to increase manifold in the coming years. In fact, this has resulted in meeting the local demands to a considerable extent. Apart from shrimps, other fish varieties and crabs are also being cultured by the farmers.

The Authority is also trying to introduce the concept of zero water exchange systems, thereby need for water would also get reduced, while the discharge of effluents will become the minimum. In the years to come, more potential areas are likely to be brought under coastal aquaculture. This year a large number of farms were registered.

The concept of biosecurity, however, needs to be applied very diligently for the exclusion of specific pathogen from cultured aquatic stocks, in brood stock facilities, aquatic quarantine, hatcheries and farms as well as from the entire region for the purpose of disease prevention. Though the biosecurity measures being imposed in the commercial culture of species like SPF *L. vannamei* may bring some hardships in the beginning, the benefits would be realized in the long run.

The Authority also help the hatchery operators meet together and exchange their experiences in increasing the productivity. Similarly, farmers' meets are also held which enable the farmers to understand the practical difficulties in farming and methods to overcome those difficulties.

The successful functioning of CAA was possible due to the active and unstinted support given by the Hon'ble Minister for Agriculture Shri Sharad Pawar and the Hon'ble Minister of State for Agriculture Prof. K.V. Thomas, for which I hereby record my heartfelt thanks. The smooth functioning of the Authority would not have been possible but for the active support rendered by the Ministry especially the successive Secretaries and the Joint Secretary (Fisheries) and their team of officers, for which also I record my sincere thanks.

25. 11. 2010

(Dr. Justice A.K. Rajan)

I. Composition, Operational Goals and Objectives of the Authority

The Coastal Aquaculture Authority established under the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 has been carrying out the functions of regulating the entire activities connected with coastal aquaculture in coastal areas (saline and brackishwater aquaculture within two kilometers from High Tide Line) of the country since its inception in December, 2005 in order to ensure sustainable development without causing damage to the coastal environment.

(i) Composition of the Authority

The Authority consisted of the following members during **2009-2010** :

1. **Dr Justice A K Rajan** — **Chairperson**
   Retired Judge of the Madras High Court
   (Retired / Sitting judge of the High Court)

2. **Dr A G Ponniah** — **Member**
   Director, Central Institute of
   Brackishwater Aquaculture, Chennai
   (Expert in the field of Coastal Aquaculture)

3. **Shri P Madeswaran** — **Member**
   Ministry of Earth Sciences, Govt. of India
   (Expert in the field of Coastal Ecology)

4. **Dr D D Basu** — **Member**
   Central Pollution Control Board
   (Expert in the field of Environment
   Protection / Pollution)

5. **Shri Tarun Shridhar, IAS** — **Member**
   Joint Secretary (Fisheries)
   Department of Animal Husbandry,
   Dairying & Fisheries
   (Representative of the Ministry of
   Agriculture, Govt. of India)

6. **Ms Leena Nair, IAS** — **Member**
   Chairman, The Marine Products Export
   Development Authority
   (**Shri G Mohan Kumar**, **IAS** – till April, 2009)
   (Representative of the Ministry of Commerce
   Govt. of India)

7. **Shri G Mohan Kumar, IAS** — **Member**
   Principal Secretary (Dept. of Fisheries & Animal Resources Department)
   Govt. of Orissa
   (**Smt Madhur Sarangi, IAS** – till July, 2009)
   (Representative of Orissa State)

8. **Shri Jyothi Lal, IAS** — **Member**
   Secretary (Transport & Fisheries)
   Govt. of Kerala
   (**Dr P Prabakaran, IAS** – till February, 2010)
   Additional Chief Secretary (GAD & Fisheries)
   (Representative of Kerala State)

9. **Shri Tapan Mondal, IAS** — **Member**
   Development Commissioner, Department of Agriculture, Fisheries, Animal Husbandry & Veterinary Services
   UT Administration of Andaman & Nicobar Islands
   (Representative of UT of Andaman & Nicobar Islands)

10. **Shri Pitambar M Tandel** — **Member**
    Karwar, Karnataka
    (Representative of Karnataka State)

11. **Dr R Paul Raj** — **Member**
    (Member appointed by the Central Government) — **Secretary**

(ii) Aims & Objectives of the Authority

The objective of the Authority is to regulate all coastal aquaculture activities in the coastal areas notified by the Central Government and for matters connected therewith. The Authority is empowered to make regulations for the construction and operation of aquaculture farms in coastal areas, inspection of farms to ascertain their environmental impact, registration of aquaculture farms, removal or demolition of coastal aquaculture farms which cause pollution, fixing standards for all coastal aquaculture inputs, viz., seed, feed, growth implements, chemicals/medicines used in coastal aquaculture etc.

(iii) Powers and Functions of the Authority

The CAA exercises the following powers and functions :

The CAA, shall *inter alia* make regulations for the orderly and sustainable development of the coastal aquaculture sector to lead to environmentally responsible and socially acceptable coastal aquaculture for the socio-economic benefits of the various stakeholders involved in the activity. The powers and functions of the Authority have been specified in Chapter IV of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005, the Rules framed there under, and the Coastal Aquaculture Authority Regulations. The major responsibility of Coastal Aquaculture Authority is to ensure registration of all kinds of coastal aquaculture farms in the country. This is an ongoing process. Towards achieving these goals, a number of measures have been initiated by the Authority.

It is mandatory that all persons carrying on coastal aquaculture shall register their farm with the Coastal Aquaculture Authority. Registration is made for a period of five (5) years, which can be renewed further. The registration process would be continued in respect of new farms as well as farms that may be renovated for taking up coastal aquaculture activities in future. Aquaculture is not permitted within two hundred meters from the High Tide Line of the sea, the creeks, rivers and backwaters within the Coastal Regulation Zone. However, this condition is not applicable to the existing farms set up before the commencement of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 and to the non-commercial and experimental aquaculture farms operated by any research institute of the Government or by the Government. However, all such farms should have been registered with the Coastal Aquaculture Authority. Any person carrying on, coastal aquaculture without such registration is liable to be punished with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which may extend to one lakh rupees, or with both. CAA is assisted by the State Level Committees (SLCs) and District Level Committees (DLCs) constituted in the coastal states relating to all matters including the registration of coastal aquaculture farms.

The CAA also has the power and the duty to -

- ensure that the agricultural lands, salt pan lands, mangroves, wet lands, forest lands, land for village common purposes and the land meant for public purposes and national parks and sanctuaries are not converted as aquaculture farms in order to protect the livelihood of coastal community living in costal areas;
- survey the entire coastal area and advise the Central Government and the State/ UT Governments for formulating suitable strategies for achieving eco-friendly development;

- advise and extend support to the State/UT Governments for constructing common infrastructure like, common water in-take, discharge canals and common effluent treatment systems;
- fix standards for seed, feed, growth supplements and chemicals/ medicines used for the maintenance of the water bodies and the organisms reared and other aquatic life;
- carryout or sponsor investigations and studies/ schemes relating to environment protection and demonstration of eco-friendly technologies;
- collect and disseminate the data and other scientific and socio-economic information related to coastal aquaculture;
- prepare materials relating to sustainable development of coastal aquaculture and activities relating to coastal aquaculture;
- give publicity and train personnel regarding sustainable utilization and fair and equitable sharing of the coastal resources;
- constitute various technical committees, sub-committees, working groups, etc., for preparation of technical manuals etc;
- direct the owners of the farm to carry out modifications to minimize the impacts on coastal environment;
- order seasonal closure for ensuring sustainability; or in the interest of maintaining environmental sustainability and protection of livelihoods in the interest of coastal environment;
- cancel the registration where any person has obtained registration by furnishing false information or contravened any of the provisions of these rules or of the conditions mentioned in the certificate of registration;
- make suitable recommendations to the Government for amending the guidelines from time to time.

(iv) Regulation of SPF *Litopenaeus vannamei* Culture in India:

The Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries (DAHD&F), Government of India, vide their Notification dated 15.10.2008, issued under the Livestock Importation Act, 1898, has authorized CAA to grant permission for importing broodstock of SPF *Litopenaeus vannamei* from selected suppliers. An aquatic quarantine unit has been set up for this purpose at Neelankarai, Chennai, which is operated by Rajiv Gandhi Centre

for Aquaculture (RGCA) with funds from National Fisheries Development Board (NFDB). Coastal Aquaculture Authority was actively finalizing the Standard Operating Procedures (SOP) for the Aquatic Quarantine. The Technical Committee to oversee and monitor the functioning of the Aquatic Quarantine was constituted by the DAHD&F, Ministry of Agriculture, Govt. of India vide Order No.35029/13/2008 Fy. (T&E) dated 2.6.2009. The Gazette Notification regarding Guidelines for regulating hatcheries and farms for introduction of *L. vannamei* was issued on 30.4.2009 under the Coastal Aquaculture Authority (Amendment) Rules, 2009. As per this Notification, an Inspection Team has been constituted in Coastal Aquaculture Authority to ascertain the biosecurity requirements for hatcheries and farms involved in the breeding and culture of *L. vannamei.* Approval to hatcheries is given by the Committee constituted for granting approval to hatcheries to import SPF *L. vannamei* broodstock. In accordance with the directives contained in another Gazette Notification of the DAHD&F dated 18.12.2009, the recommendations of the Inspection Team authorized by the Authority are to be processed by Member Secretary (Coastal Aquaculture Authority) for consideration of the Authority for issuing permission to farms for culturing SPF *L. vannamei.*

II. Targets and Performances

(i) Annual Targets

- Convening of not less than six meetings of the Authority as specified in the Coastal Aquaculture Authority Act to take appropriate decisions.
- Registration of coastal aquaculture farms and their renewal are a continuous process, which can not be specifically quantified or targeted. All the applications received from DLCs and SLCs are processed and those applications, found in order, are placed for approval of the Authority. Registration Certificates are issued immediately on approval by the Authority.
- The Authority takes every measure to attain the goal of registering all coastal aquaculture farms located in the coastal areas of the country including new farms and renovated farms.
- In the case of new activity, *viz.*, SPF *L. vannamei* culture, a tentative target of covering an area of about 1,000 hectares was fixed for the year 2009-10. The Guidelines for SPF *L. vannamei* seed production and farming besides aquatic quarantine were published during the first quarter of the financial year.
- Public notice will be issued before short-listing potential global suppliers of SPF *L. vannamei* broodstock. Meetings of the Technical Committee, to shortlist broodstock suppliers will be convened and such short-listing will be done.
- Public Notice will be issued to invite applications before short-listing prospective hatchery owners with adequate biosecurity facilities for import of broodstock and produce SPF seed.
- Public Notice will be issued to invite applications for permitting farmers, who intend to culture SPF *L. vannamei* in their farms after creation of adequate biosecurity facilities and Effluent Treatment Systems (ETS) in their farms.
- Processing of the applications received for seed production and farming of SPF *L. vannamei* will be done without any delay.
- Inspection of hatcheries and farms will be done by the Inspection Team to ascertain the facilities.
- Consideration of the applications recommended by the Inspection Team for granting approval will be done promptly.
- Monitoring of hatcheries and farms will be done periodically.

- Convening of meetings of the Technical Committee to review the functioning of the Quarantine will be done periodically.
- Setting-up of a water quality laboratory will be done at the Technical Section of Coastal Aquaculture Authority at Vepery, Chennai.
- Awareness Programmes, in selected Maritime States, to sensitize the farmers on registration of hatcheries, SPF *L. vannamei* farming and issues of banned drugs and other substances, will be organised as and when necessary.

(ii) Brief review of actual performance

- Six meetings of the Authority were held between April 2009 - March 2010. In all 6,465 applications for registration of shrimp farms received from SLCs/DLCs were considered for approval. The Authority approved 6,378 applications, the balance were returned for rectification and Registration Certificates were issued to all the 6,378 approved farms.
- On the basis of the Inspection Team's report of the Committee set up for this purpose, 15 hatcheries were approved by the Coastal Aquaculture Authority during the current year (9 hatcheries were approved during the previous year), making the total number of approved hatcheries to 24, for import of broodstock of SPF *L.vannamei* from approved list of suppliers, to import a total of 30,600 numbers of broodstock.
- After scrutinizing the applications received from the farms, for culture of SPF *L. vannamei* and based on the Inspection Team's report, 107 farms with a water spread area of 1,112.08 ha were issued permission for culture of *L. vannamei* for the year.
- Approximately, 310.69 million PL of SPF *L. vannamei* were produced by the approved hatcheries and supplied to the approved shrimp farms during this period.
- The total SPF *L. vannamei* production during the period of reporting was 705.72 MT with an average productivity ranging between 2.27 to 10.72 MT/ha/crop.
- Nine Awareness Programmes (3 in Gujarat, 3 in Andhra Pradesh, 2 in Tamil Nadu and 1 in Maharashtra) were organised in collaboration with the State Fisheries Departments till March, 2010 to sensitize the farmers about the biosecurity requirements in the farming of SPF *L. vannamei* and on the need to comply with them, in all 516 farmers participated in these programmes.
- The Technical Committee constituted under the chairmanship of Member Secretary (Coastal Aquaculture Authority) to oversee and monitor the functioning of the Aquatic Quarantine Facility (AQF) met four times during the period and took appropriate decisions for the smooth functioning of the facility.

III. A. Activities and Achievements

(i) Meetings of the Authority and Committees constituted by the Authority

During the current year, i.e., from April 2009 to March 2010, the CAA convened six regular meetings, in addition to three other meetings. The details of the meetings and important decisions taken are summarized in the following table. Besides approving the applications for registration, the Authority discussed many vital issues such as review of the registration process of hatcheries, EU Mission's recommendation on antibiotic residues in shrimp, formulation of standards for probiotics, norms for utilization of fees collected for registration of farms, monitoring of farm waste water discharge, procedural changes in allocation of funds by the Central Government directly to Coastal Aquaculture Authority account, and need for amendments to the Act, Rules and Guidelines in the context of financial autonomy to Coastal Aquaculture Authority etc.

Meetings of the Coastal Aquaculture Authority (April 2009 – March 2010)

Meetings	Date and Venue	Important decisions taken
Twenty first Meeting	22nd May, 2009 Chennai	• Approved the registration of 596 shrimp farms. • Approved the Norms for District Level Committees (DLCs) and CAA for utilization of Fees collected for registration of shrimp farms. • A letter was sent to all DLCs and SLCs to expedite the process of registration of shrimp farms. • The tenure of Shri G. D. Chandrapal, as Advisor was extended for a period of one year w.e.f. 15th March 2009. • Shri D. Vincent was appointed as Consultant for a period of six months w.e.f. 1st September, 2009.
Twenty second Meeting	12th August, 2009 Kochi	• Approved the registration of 1,578 shrimp farms. • Approval given to 24 hatcheries for import of broodstock and seed production of SPF *L. vannamei* was ratified. • Procedures to be adopted in future for grant of permission to hatcheries to import SPF broodstock of *L. vannamei* and for culturing *L. vannamei* by aquaculture farmers; constitution of Inspection Team for *L. vannamei* farms. • Permission granted to 4 shrimp farms (WSA-133.95 ha) to culture SPF *L. vannamei*. • Clarification on the CAA Act and Rules in the context of appeals filed against rejection of registration of hatcheries by MPEDA.

Meetings	Date and Venue	Important decisions taken
Twenty third Meeting	13th October, 2009 Chennai	• Annual Report for the year 2008-09 was approved. • Approved the registration of 664 shrimp farms. • Granted permission to 6 shrimp farms (WSA- 121.42 ha) to culture SPF *L. vannamei*. • Approved the proposal of Grant-in-aid by Ministry of Agriculture. • Action against illegal culture of SPF *L. vannamei* in Andhra Pradesh through the District Collector to close the farms if illegal culture is undertaken and submit the action taken report to the authority for information. • Clarification on joint operation of ETS by cluster farms.
Twenty fourth Meeting	16th December, 2009 Chennai	• Approved the registration of 677 shrimp farms. • Permission granted to 18 shrimp farms (WSA- 241.80 ha) to culture SPF *L. vannamei*. • Approved the proposal to set up a water quality monitoring laboratory at the Technical Section of CAA. • Action taken report by Andhra Pradesh Government on illegal culture of *L. vannamei* was reviewed. • Approved the proposal of Central Institute of Brackishwater Aquaculture to develop an EMP Manual.
Twenty fifth Meeting	9th February, 2010 Chennai	• Approved the registration of 1,056 shrimp farms. • Permission granted to 25 farms (WSA - 1,138.29 ha) to culture SPF *L. vannamei*. • Compliance of procedure as per CAA Regulation stressed for taking action on reports received from the Marine Products Export Development Authority on antibiotic residues.

Meetings	Date and Venue	Important decisions taken
Twenty sixth Meeting	25th March, 2010 New Delhi	• Approved the registration of 1,807 shrimp farms. • Permission granted to 54 shrimp farms (WSA-476.62 ha) to culture SPF *L. vannamei*. • Resolved that Chairman, CAA may consider the appeals of 5 hatcheries in the light of the report of the Inspection Committee of CAA and decide the issue of registration of the 5 hatcheries and communicate to MPEDA. • Approved the proposal for creating a separate Pension Fund for payment towards pension and other retirement benefits and for operating an account each for GPF and CPF for depositing monthly contribution.

Other Meetings/Seminars conducted by the Coastal Aquaculture Authority (April 2009 – March 2010)

Sl. No.	Name of Meeting	Date and Venue	Major discussions / decisions taken
1	Brain Storming session with stakeholders to fix standards for probiotics used in coastal aquaculture	19.06.2009 CAA, Chennai	Major issues for fixing standards such as registration of manufacturers, separate standards for water probiotics, feed probiotics, testing of products in identified labs, certifications etc were discussed. Members were asked to send available information for documenting them in order to place it before the Sub-committee.

Sl. No.	Name of Meeting	Date and Venue	Major discussions / decisions taken
2	Stakeholders' meeting to discuss the SOP for Aquatic Quarantine of SPF *L. vannamei* broodstock	22.06.2009 CIBA, Chennai	Requests for reducing the days at quarantine, quarantine fee, allotment of space, testing of animals for pathogens, mode of disposal of containers, specific safeguards to maintain biosecurity at hatcheries etc. were discussed.
3	1st Meeting of the Technical Committee to oversee and monitor the functioning of the Aquatic Quarantine Facility (AQF)	02.07.2009 CAA, Chennai	Quarantine fee was decided as ₹4,000/- per cubicle. Quarantine certificate shall be issued by the Animal Quarantine Officer of DAHD&F after confirmation by the Aquatic Quarantine about the disease free status of the stock. CIBA would be the designated Laboratory for confirmation tests of OIE listed diseases.
4	2nd Meeting of the Technical Committee to oversee and monitor the functioning of the AQF	08.09.2009 CAA, Chennai	Reduction in the quarantine duration to 5 days. Animal Quarantine Unit will charge a fee of ₹500/- from importer for incineration of package materials. RGCA may take action to add atleast 2 more cubicles in the Quarantine Unit.
5.	Stakeholders' meeting to review the modalities of sale of seed, record maintenance etc.	17.11.2009 CAA, Chennai	Hatchery operators should sell seed of SPF *L. vannamei* only to the farms permitted by CAA to culture *L. vannamei* and keep a record on production of seed, sale of seed etc. They should issue a certificate regarding SPF status, quality of seed sold, registration & permission details of farms etc.

Meeting for short listing Broodstock Supplier

Meeting for permitting L. vannamei farming

Sl. No.	Name of Meeting	Date and Venue	Major discussions / decisions taken
6.	3rd Meeting of the Technical Committee to oversee and monitor the functioning of the AQF	08.12.2009 CAA, Chennai	Shut down period of AQF was changed to November every year for a period of 30 days coinciding with the shut down period of hatcheries. Multiple consignments from same source involving more than one importer should not be allowed.
7.	4th Meeting of the Technical Committee on AQF	12.03.2010 CAA, Chennai	Process of incineration at Animal Quarantine Unit at Pallikaranai was discussed and till a final decision on alternate method is taken, existing arrangements would continue.
8.	Meeting of the Committee constituted for granting approval to hatcheries to import SPF broodstock of *L. vannamei* during April 2010 – March 2011.	30.03.2010 CAA, Chennai	Seed requirement for stocking in 2,000 ha for the period 2010-11 was worked out. Requirement of number of spawners was also worked out. Hatcheries permitted earlier to import broodstock but failed to take any action may not be considered for the present.

Meeting for fixing Feed Standard

Hatchery Operators Meet

Meeting for short listing Broodstock Supplier

(ii) Registration of Shrimp Farms

- One of the major tasks accomplished by the CAA was the registration of shrimp farms on the recommendations of the State and District Level Committees constituted for this purpose.
- The Authority considered the applications recommended by the District Level Committees and the State Level Committees for registration of shrimp farms in its meetings held regularly once in two months and has approved and issued 18,215 registration certificates to shrimp farmers till March 2010 (since inception of the CAA).
- A statement showing the total numbers of certificates of registration issued by the Authority in all the 12 maritime States is given in Table 1 and the chart showing the area-wise farms registered with the Authority is depicted in Figure 1. CAA has updated the data base on registration of shrimp farms in the Authority's website. The details of registered farms are also made available to the end users in the Authority's website, which is being updated periodically.

Table 1: Details of Registration Certificates issued by CAA up to 26th meeting (December 2005 – March 2010)

Sl. No.	Name of States/ Union Territories	Total Area (ha)					
		0.00 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	Above 40.00	Total
1	West Bengal	946	143	0	0	0	**1,089**
2	Orissa	1,920	335	19	3	0	**2,277**
3	Andhra Pradesh	11,194	868	75	29	9	**12,175**
4	Tamil Nadu	725	514	100	13	1	**1,353**
5	Puducherry	1	1	0	0	0	**2**
6	Kerala	267	74	12	2	0	**355**
7	Karnataka	228	36	2	2	0	**268**
8	Goa	15	10	1	1	0	**27**
9	Maharashtra	67	105	22	17	4	**215**
10	Gujarat	122	318	1	0	1	**442**
11	Daman & Diu	0	12	0	0	0	**12**
12	Andaman & Nicobar Islands	0	0	0	0	0	**0**
	Total	**15,485**	**2,416**	**232**	**67**	**15**	**18,215**

- During the year under report, the Authority has considered and approved 6,378 applications. The registration certificates were issued and despatched to the concerned farmers through Member Convener, SLC /DLC.
- A statement showing the total number of farms registered with the Authority during the year in the 12 maritime States is given in Table 2 and the State-wise break up of shrimp farms registered with CAA in the 9 maritime States are depicted in Figures 3 to 11.

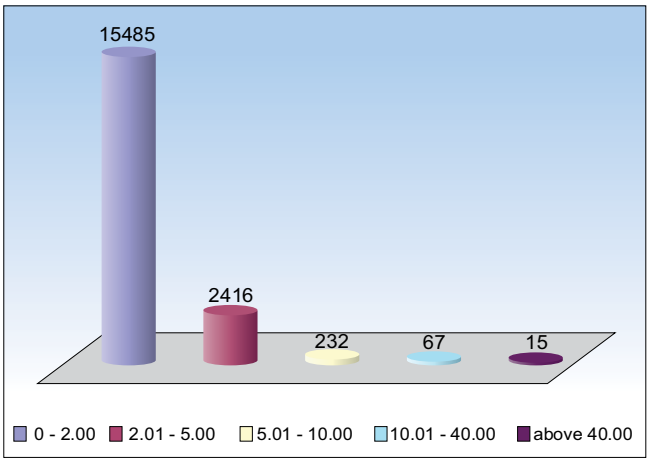

Fig 1 – Registration of farms in all the Coastal States since inception of CAA up to 26th meeting

Table 2 : Details of Registration Certificate issued by CAA during April 2009 – March 2010

Sl. No.	Name of States/Union Territories	Total Area (ha)					
		0.00 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 -40.00	Above 40.00	Total
1	West Bengal	321	41	0	0	0	**362**
2	Orissa	1,101	187	16	5	3	**1,312**
3	Andhra Pradesh	3,409	321	52	19	4	**3,805**
4	Tamil Nadu	136	70	6	1	0	**213**
5	Puducherry	0	0	0	0	0	**0**
6	Kerala	177	60	15	2	0	**254**
7	Karnataka	45	17	1	0	0	**63**
8	Goa	2	7	2	1	0	**12**
9	Maharashtra	22	45	1	13	7	**88**
10	Gujarat	88	181	0	0	0	**269**
11	Daman & Diu	0	0	0	0	0	**0**
12	Andaman & Nicobar Islands	0	0	0	0	0	**0**
	Total	**5,301**	**929**	**93**	**41**	**14**	**6,378**

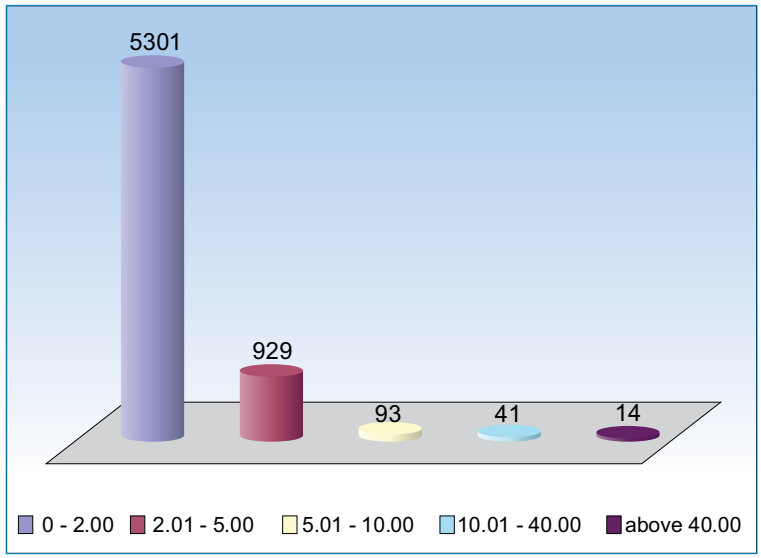

Fig 2 - Registration of farms in all the Coastal States during April 2009 – March 2010

State-wise break up of Shrimp farms registered with CAA during the year 2009-2010 (Figures 3 to 11)

West Bengal

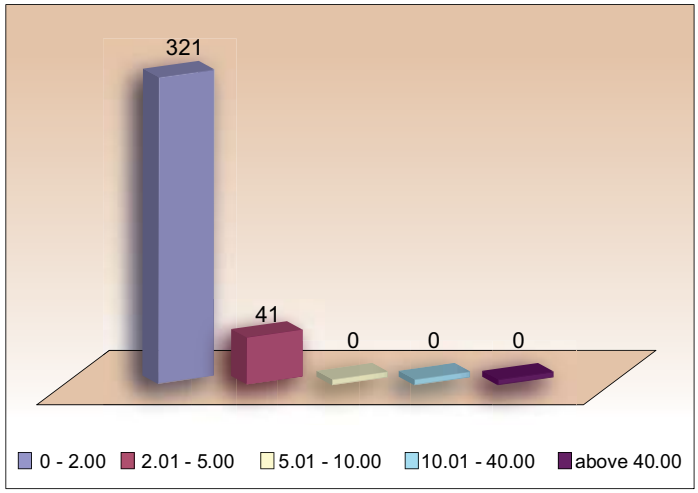

Area (ha)	No. of Farms
0 - 2.00	321
2.01 - 5.00	41
5.01 - 10.00	0
10.01 - 40.00	0
Above 40.00	0
Total	**362**

Orissa

Area (ha)	No. of Farms
0 - 2.00	1,101
2.01 - 5.00	187
5.01 - 10.00	16
10.01 - 40.00	5
Above 40.00	3
Total	1,312

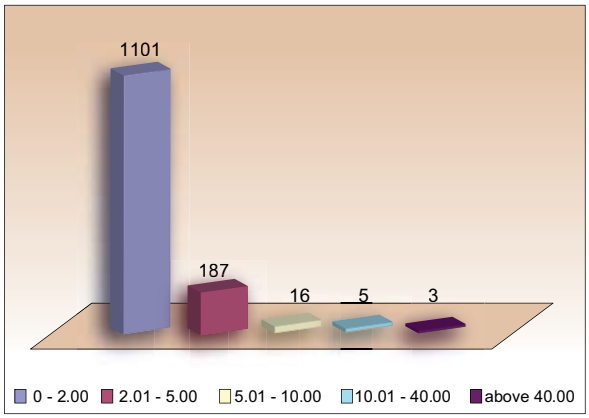

Andhra Pradesh

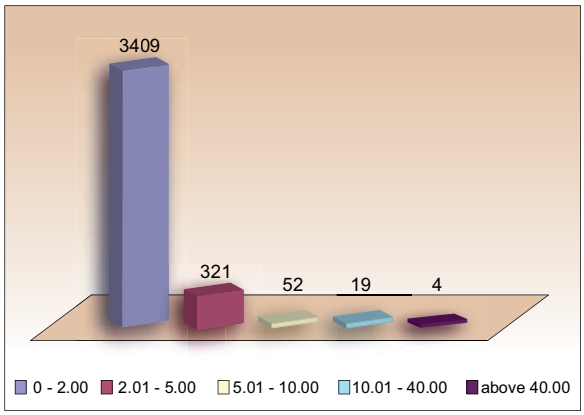

Area (ha)	No. of Farms
0 - 2.00	3,409
2.01 - 5.00	321
5.01 - 10.00	52
10.01 - 40.00	19
Above 40.00	4
Total	3,805

Tamil Nadu

Area (ha)	No. of Farms
0 - 2.00	136
2.01 - 5.00	70
5.01 - 10.00	6
10.01 - 40.00	1
Above 40.00	0
Total	213

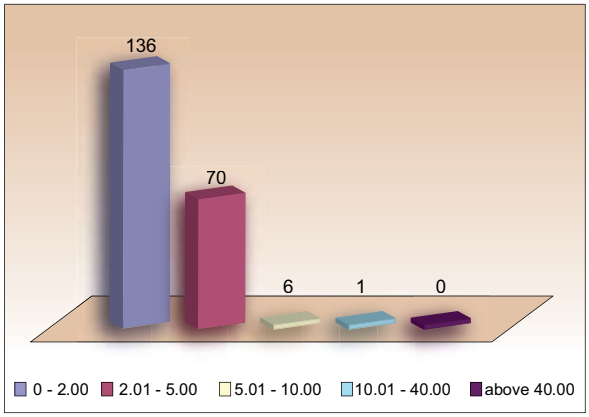

Kerala

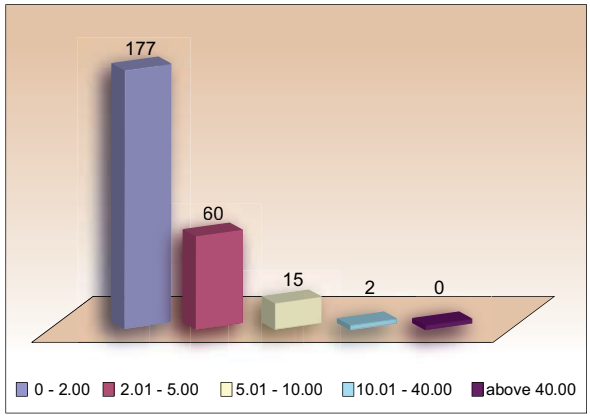

Area (ha)	No. of Farms
0 - 2.00	177
2.01 - 5.00	60
5.01 - 10.00	15
10.01 - 40.00	2
Above 40.00	0
Total	254

Karnataka

Area (ha)	No. of Farms
0 - 2.00	45
2.01 - 5.00	17
5.01 - 10.00	1
10.01 - 40.00	0
Above 40.00	0
Total	63

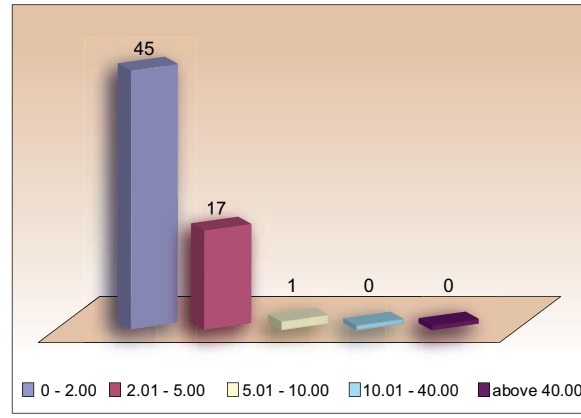

Goa

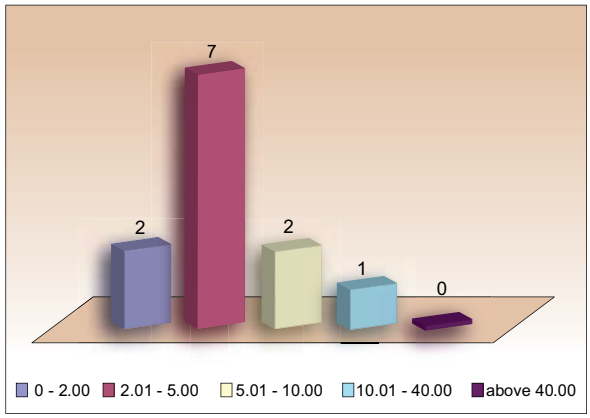

Area (ha)	No. of Farms
0 - 2.00	2
2.01 - 5.00	7
5.01 - 10.00	2
10.01 - 40.00	1
Above 40.00	0
Total	12

Maharashtra

Area (ha)	No. of Farms
0 - 2.00	22
2.01 - 5.00	45
5.01 - 10.00	1
10.01 - 40.00	13
Above 40.00	7
Total	88

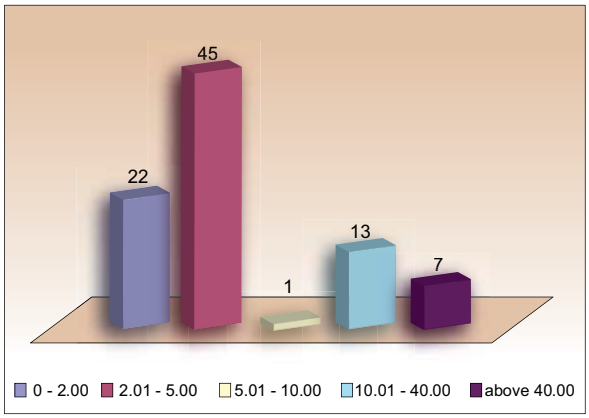

Gujarat

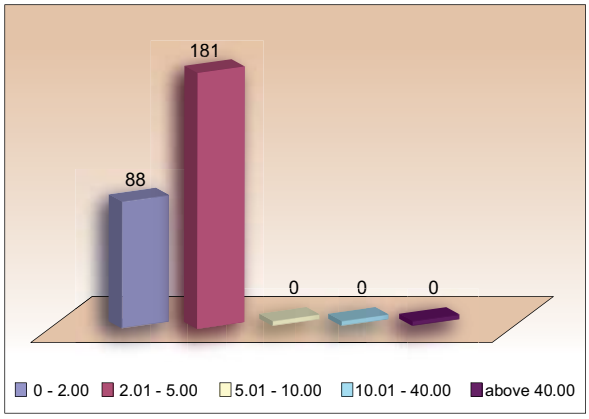

Area (ha)	No. of Farms
0 - 2.00	88
2.01 - 5.00	181
5.01 - 10.00	0
10.01 - 40.00	0
Above 40.00	0
Total	269

(iii) Registration of Hatcheries

Applications for registration of shrimp hatcheries are submitted to the Marine Products Export Development Authority (MPEDA), as per Guidelines (No. 7.1) issued by the Government of India. After scrutiny and inspection of the hatcheries by the Hatcheries Inspection Committee constituted by MPEDA, provisional registration is made by MPEDA and the list of hatcheries is forwarded to the Coastal Aquaculture Authority for review, which are considered by the Authority for final approval. Wide publicity was made to facilitate hatchery owners to register their shrimp hatcheries. Till date, about 150 hatcheries provisionally registered by the MPEDA, have been approved by the CAA. MPEDA has been asked to send all the applications for registration of hatcheries in original to CAA for scrutiny and review. The time limit for registration of new and revived hatcheries, fixed by MPEDA was set aside by the CAA in order to facilitate registration of new and renovated hatcheries.

(iv) SPF *L. vannamei* Culture – The present status

- CAA was closely involved in the finalization of guidelines for SPF *L. vannamei* (quality of broodstock, import, seed production and farming); operationalizing the aquatic quarantine facility set up at the RGCA at Neelankarai, Chennai with financial assistance from NFDB.
- CAA carried out the exercise of shortlisting the suppliers of SPF *L. vannamei* broodstock based on the genetic base and disease status by holding intensive discussions with the prospective suppliers in consultation with other related organizations like CIBA, NFDB and MPEDA. Six suppliers were short-listed for supply of SPF broodstock of *L. vannamei*.
- Similar exercise was carried out in selecting suitable Indian hatcheries for import of broodstock of SPF *L. vannamei* as well as for production and sale of post larvae.
- CAA formulated the guidelines for hatcheries and farms in association with CIBA; the formats of application were also designed and put up in the website. After thorough scrutiny of the applications, inspection of hatcheries were made by the Inspection Committee constituted by the Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries.
- Selection of farms were made after inspection of the farm sites, facilities etc. before issue of approvals.

Procedures followed for Broodstock Import and Seed Production of *L. vannamei*

- According to the guidelines notified by the Ministry of Agriculture, Coastal Aquaculture Authority was entrusted with the task of granting permission to hatcheries for import of SPF *L. vannamei* broodstock and production of post larvae for sale.
- Accordingly, CAA, in consultation with NFDB, CIBA & MPEDA identified six broodstock suppliers of SPF *L. vannamei* through global advertisement, from whom the hatchery owners are allowed to import broodstock.
- An advertisement was also released in the leading newspapers inviting applications from hatchery owners for rearing of SPF *L. vannamei* and based on the inspection of facilities, 24 hatcheries have been issued permission to import broodstock and breeding.
- A Technical Evaluation Committee was set up to shortlist the hatcheries.
- A total of 50 applications were received and after scrutinizing, the Inspection Committee constituted by the DAHD&F, rejected 2 applications due to

deficiencies and inspected 48 hatcheries. On the basis of recommendations of the Inspection Committee, 24 hatcheries (15 in Andhra Pradesh, 8 in Tamil Nadu and 1 in Gujarat) were given approval for import of broodstock and seed production of SPF *L. vannamei.*

- The Letter of Permission (LOP) was issued on the terms and conditions given in the guidelines of the DAHD&F as well as those suggested by the committee to grant permission for import and seed production of SPF *L. vannamei*.

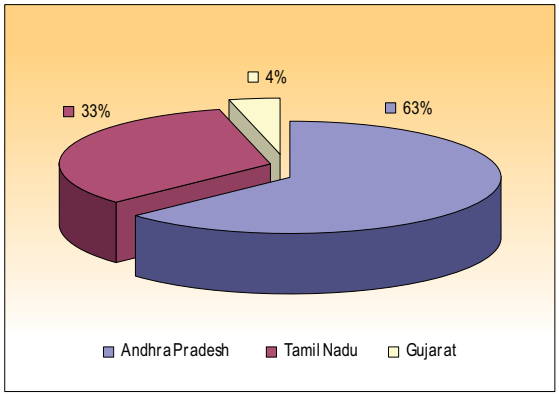

Figure 12 State-wise distribution of SPF L. vannamei hatcheries

Inside view of a L. vannamei hatchery

Permission to Shrimp farms to Culture SPF *L. vannamei*

An Inspection Team was constituted by CAA for inspection of Farms for granting permission to undertake SPF *L. vannamei* culture. The biosecurity requirements for *L. vannamei* culture verified through inspection are :

(i) Fencing of farms (including crab fencing);

(ii) Water intake through reservoirs;

(iii) Installation of bird netting / bird scares;

(iv) Effluent Treatment System to be in position.

On the basis of the recommendations of the Inspection Committee and further consideration by the Member Secretary, CAA the proposals were placed before the Authority for consideration. As per the approval of CAA, the LOP was issued to the concerned farmers. The State-wise details of the farms permitted during the period under report is given in **Table 3** and their percentage depicted in Figure 13.

Table 3 State-wise details of farms permitted during April 2009 - March 2010

Sl. No.	Name of the State	No. of Farms
1.	Andhra Pradesh	87
2.	Tamil Nadu	06
3.	Maharastra	10
4.	Gujarat	04

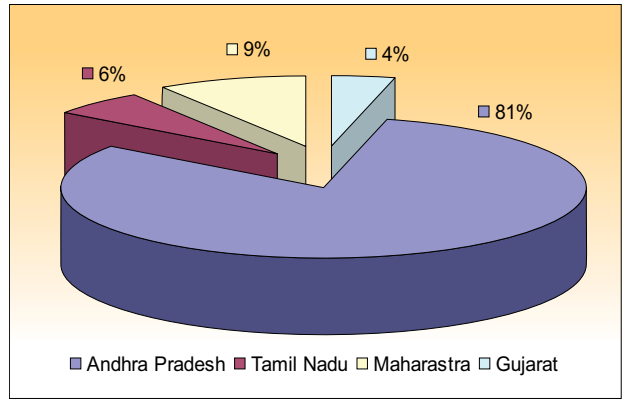

Figure 13. State-wise distribution of farms permitted during 2009-10

Monitoring of Hatcheries & Farms of SPF *L. vannamei*

- A total of 13 hatcheries (8 in Tamil Nadu and 5 in Andhra Pradesh), which were permitted by CAA to produce SPF *L. vannamei* seed were monitored by the CAA officials.
- During the period under report, 3 farms in Andhra Pradesh, which were permitted by CAA to undertake SPF *L. vannamei* culture were monitored by CAA officials.
- The production facilities were inspected and the records were also verified. The hatcheries and the farms were advised to maintain proper records as per the guidelines issued by the Ministry of Agriculture vide No 259 dated 1st May, 2009.

View of a biosecured L. vannamei farm

Farm and Crab Fencing

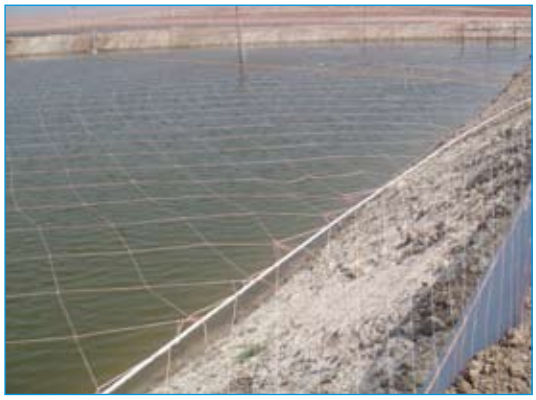

Bird netting in a L. vannamei farm

Bird scare in a L. vannamei farm

Reservoir with bafles

Common Supply Canal

Inlet pipes with filter bags in a farm

ETS in a farm

Harvest by bag net

Harvest by drag net

Chill killing of harvested shrimp

Farm-fresh harvested L. vannamei

(v) Additional Accommodation for CAA Office:

The newly rented premises for CAA at Vepery, Chennai-7 was taken on lease from June, 2009. The Technical Section of the Authority has been shifted to that premises and also a water quality laboratory is being set up.

(vi) Setting up of Laboratory at Technical Section of CAA:

A water quality monitoring laboratory is being set up by CAA at the Technical Section of CAA at Vepery for regular monitoring of the waste water from hatcheries and farms to ensure that they are within the standards prescribed in CAA Act 2005. Orders were placed for most of the laboratory equipments by calling of tenders.

(vii) Outreach Activities where CAA Officers were involved :

Participation of CAA in INFISH-2009

As a part of extension activity, CAA has participated and put up a stall in the Indian Fish Festival "INFISH-2009" organised by NFDB during 11th to 13th July 2009 at Hyderabad. The mandate and functions of CAA and the Good Management Practices in shrimp farming to be adopted by shrimp farmers including awareness on use of antibiotics, chemicals and drugs in aquaculture were displayed in the stall for the benefit of the end users.

CAA Chairman delivering valedictory address

Chairman, CAA and CE, NFDB at the CAA stall

CAA stall in "INFISH -2009"

Awareness Programmes Conducted by CAA

Nine awareness programmes were conducted by CAA during the period under report. The details are as follows :

- Three awareness programmes in three districts of Gujarat (Veraval on 19.05.2009, Navasari on 20.05.2009 and Surat on 21.05.2009) in which 136 farmers and MPEDA and Gujarat State fisheries officials participated.
- Three awareness programmes in three districts of Andhra Pradesh (Kota and Nellore on 21.10.2009 and Ongole on 22.10.2009), in which altogether 207 farmers and MPEDA and Andhra Presdesh State fisheries officials participated.
- Two awareness programmes in two districts of Tamil Nadu (Nagapattinam on 4.11.2009 and Pattukotai on 5.11.2009) in which altogether 143 farmers and Tamil Nadu State fisheries officials participated.

Awareness programme at Surat

Awareness programme at Nellore

Awareness programme at Nagapattinam

Awareness programme at Kota

- One awareness programme at Alibagh, Maharastra on 9.12.2009, in which 30 farmers and MPEDA and Maharashtra State fisheries officials participated.
- A sensitization programme on 11-12-2009 at Panaji, Goa in which altogether 38 members including farmers, State Fisheries officials of Goa and Karnataka, officials of MPEDA and members of DLC and SLC participated.

Awareness programme at Alibagh

Sensitization Programme at Goa

Awareness programme at Pattukkottai

During the awareness programmes, various aspects on CAA Act 2005, aims, objectives, functions of CAA, antibiotic residues, FAO's Code of Conduct for Responsible Aquaculture and guidelines for regulating hatcheries and farms for introduction of SPF *L. vannamei* were explained to the farmers in the local language by the CAA officials. Handouts prepared in vernacular languages were also distributed to the farmers.

(viii) Participation of CAA officers in Meetings/Seminars/Symposium organised by other organizations

- Chairman participated in the Indian Fish Festival "INFISH-2009" organised by NFDB at Hyderabad during 11-13th July, 2009 and delivered the valedictory address.
- Member Secretary participated in the Research Advisory Committee Meeting of Central Institute of Freshwater Aquaculture (CIFA), Bhubaneswar on 4th March, 2010.
- Member Secretary attended the meeting of the Sub-committee constituted by the Executive Committee, National Fisheries Development Board (NFDB) about Moana-Jump Start Progamme and Multiplication Centre for SPF *L. vannamei* organised by NFDB at New Delhi on 3rd March, 2010.
- Member Secretary attended the Indo-European Workshop on Waste Management in Aquaculture and Fisheries (WAMAFISH) on 10th and 11th February, 2010 at Cochin University of Science and Technology, Kochi.
- Member Secretary attended the meeting organised by NFDB on 3rd and 4th January, 2010 at New Delhi regarding NFDB funded SPF Shrimp Seed Multiplication Centre at Srikakulam.
- Member Secretary delivered a lecture on "Regulatory Framework for Coastal Aquaculture" as a part of Professional Development Programme in the Central Institute of Fisheries Education (CIFE), Mumbai on 18th December, 2009.
- Member Secretary attended the 14th Executive Committee Meeting of NFDB on 6th October, 2009 at Krishi Bhawan, New Delhi.
- Member Secretary attended the 13th Executive Committee Meeting of NFDB held in New Delhi on 7th December, 2009.
- Member Secretary attended the Opening Meeting of FVO Mission to India on 16th September, 2009 concerning control of residues and contaminants in live animals at Export Inspection Council (EIC) of India, New Delhi.
- Member Secretary attended the meeting on 31st July, 2009 organised by NFDB to fix the price for the SPF seed under the Jump-Start Programme held at Hyderabad.
- Member Secretary participated in the Indian Fish Festival "INFISH-2009" organised by NFDB at Hyderabad during 11-13th July, 2009 and chaired a Technical Session on Aquaculture.
- Member Secretary attended the National Conference of State Fisheries Ministers held at Bhubaneswar on 4th and 5th July, 2009.
- Member Secretary attended the Opening Meeting with the Delegation from Russian Federal Service for veterinary and phytosanitary surveillance held in New Delhi on 12th May, 2009 conducted by Export Inspection Council of India.

- Director, CAA attended the training programme on "Entrepreneurship Development in Coastal Aquaculture" during 26th – 31st October, 2009 at Chennai and made a presentation on the topic "Coastal Aquaculture Authority Guidelines for Sustainable Development of Coastal Aquaculture".
- Director, CAA attended the meetings of the Third Annual General Body meeting of the National Center for Sustainable Aquaculture (NaCSA) held at Kakinada, Andhra Pradesh on 30.09.2009.
- Director, CAA participated in the State Level Seminar on "Recent Advances in Agro-meteorology and space technology for sustainable food security in Tamil Nadu" organized by Department of Meteorology during 22 - 23 September, 2009 at Chennai.
- Director, CAA attended the "Workshop on Environmental Sustainability of Brackishwater Aquaculture" held at CIBA, Chennai on 30.07.2009.
- Assistant Director, CAA attended a stakeholders' meeting to discuss computerized monitoring system for AQF organized by RGCA on 28th November, 2009.
- Assistant Director, CAA participated in the Workshop on "Organic Aquaculture Production and Product Marketing organized jointly by MPEDA and INFOFISH, Malaysia at Cochin on 25.11.2009.
- Assistant Director, CAA attended a training programme on "Code of Conduct for Responsible Fisheries" held at Chennai and Mumbai during the period 21st June to 04th July 2009 organised by BOBP-IGO, Chennai.
- Director, Asst. Director and Shri S. Ramesh Kumar, Senior Technical Assistant, CAA participated in Indian Fish Festival "INFISH-2009" held at Hyderabad during 11th -13th July, 2009 organized by NFDB.
- Director and Shri S. Ramesh Kumar, Senior Technical Assistant, CAA participated in the Brain storming Workshop on "Partnership with Aqua Consultants for on-farm research and extension out reach" on 01.07.2009 at Ongole organized by CIBA.
- Director, Assistant Director, D. Vincent, Consultant and Smt. G. Priya, Senior Technical Assistant, CAA participated in the International Conference on "Recent Advances in Lobster Biology, Aquaculture and Management (RALBAM 2010)" organized by National Institute of Ocean Technology (NIOT) at NIOT, Pallikaranai, Chennai during 5th -8th January, 2010.

(ix) Participation in the Meetings of Food and Veterinary Office (FVO) Mission

Coastal Aquaculture Authority was involved in the visit of the FVO Mission from European Union (15th – 25th September, 2009), organised by Export Inspection Council

under the Union Ministry of Commerce. Member Secretary participated in the opening and wrap up meetings and explained the statutory provisions regarding registration of coastal farms; sampling and testing for antibiotic residues as provided in the Coastal Aquaculture Authority Act/Rules and Regulations. CAA is also actively involved in implementing the recommendations of FVO Mission as contained in the action plan and provided necessary technical inputs to EIC in this connection including on issues concerning legal support in compliance with the EU recommendations.

(x) Recruitment of Staff sanctioned for the Authority

The Regulations framed by the Authority, prescribing the method of recruitment, qualifications etc. for the employees of the Authority, appointment of Advisors / Consultants etc. were notified by the Ministry in March, 2008. Subsequently, the Authority initiated the recruitment process for filling up all the vacant posts and as of now, nine regular staff have been appointed. The selection process for the other posts are in progress.

(xi) Setting up of Headquarters for CAA

Chairman is pursuing with the Tamil Nadu State Government for allotment of land on lease for construction of a permanent building for the Headquarters of Coastal Aquaculture Authority at Chennai.

(xii) Website Updation

CAA has been regularly updating its website with all the notifications, circulars, advertisements and other important matters of public interest. The website has complete data base on the registered shrimp farms and hatcheries besides database connected with introduction of SPF *L. vannamei* farming.

(xiii) Right to Information Act

No application seeking information under RTI Act was received during the year 2009-10.

B. Activities likely to be taken up during 2010 - 2011

Coastal Aquaculture Authority will continue to perform its task of registering coastal aquaculture farms and in the process will ensure that no coastal aquaculture farm, which has the potential to cause any detriment to the coastal environment or is against the concepts of responsible coastal aquaculture is allowed to be set up or exist in the coastal areas of the country. Production of SPF seed of *L. vannamei* and its culture in accordance with the

Guidelines notified by the Government would be taken due care. The following activities are likely to be taken up by the CAA during the financial year 2010 - 2011:

- **Meetings:** Six meetings of the Authority shall be conducted as per the mandatory requirement.
- **Registration of farms:** It is expected that at least 3,000 coastal aquaculture farms of the country shall be registered subject to the recommendations received from the DLCs and SLCs set up for this purpose. About 24 hatcheries to be permitted to breed *L. vannamei* shrimp for production of SPF seed shall be registered.
- **Approval for SPF *L. vannamei* culture:** About 1,000 ha of pond area shall be granted approval to culture *L. vannamei* after due inspection of the facilities.
- **Inspection and monitoring:** Pre-inspection of new areas intended to be brought under *L. vannamei* culture (1,000 ha) shall be carried out. Monitoring of the coastal aquaculture facilities shall be done on receipt of specific requests as well as through quarterly visits to the different coastal states. Quality monitoring laboratory for regular monitoring of waste water from hatcheries and farms shall be set up.
- **Removal/closure of coastal aquaculture farms:** Removal or closure of hatcheries and farms involved in coastal aquaculture shall be done on receipt of specific complaints, if any, about violations and after confirmation of facts.
- **Standards for aquaculture inputs:** Standards for shrimp feed including growth supplement (probiotics) shall be finalized.
- **Awareness programme:** At least one awareness programme in each coastal state will be carried out on the functioning of CAA and on the programmes towards sustainable aquaculture.
- **Release of public notices:** Public notices are to be issued on the current issues and to caution stakeholders on certain precautionary measures. A Newsletter (biannual) will also be brought out.
- **Manuals and brochures:** Compendium on the activities of CAA will be brought out in three regional languages. Manual on Good Management Practices in *L. vannamei* culture will be brought out. In addition, a compilation of Guidelines on setting up of Effluent Treatment System (ETS) of different categories will be brought out.
- **Workshop/Stakeholders' Meet:** One workshop and one stakeholders' meet will be organized on sustainable farming practices and for sharing the experiences in the culture of exotic shrimp species viz. *L. vannamei*.
- CAA will participate in workshops and exhibitions relating to coastal aquaculture depicting sustainable farming practices.
- Training/study visits will be organized for technical and administrative staff.

IV. FINANCE

Summary of actual financial results and activities during the previous financial year:

The budget for the CAA was provided under the budgetary provisions of the DAHD&F, Ministry of Agriculture till March, 2009. The accounts were maintained by the Pay and Accounts Office, Department of Agriculture & Cooperation, Rajaji Bhawan, Chennai and are incorporated in the annual accounts of the Ministry of Agriculture.

As per section 16 and 17 of the CAA Act the Central Government have to pay the Authority in each financial year such sums as may be considered necessary for the performance of the functioning of the Authority and the Authority shall have its own fund and all sums which may from time to time be paid to it by the Central Government and that all money belonging to the fund shall be deposited in Bank Account. Accordingly it was decided at the 19th meeting of Authority held on 12th December 2008, that fund allocation to CAA should henceforth be in the form of Grant in Aid.

Ministry of Agriculture, allocated funds as Grant-in-Aid in October, 2009 under the Sub-head of 090031 on 18th September, 2009. The Authority has started utilization of fund from its Bank Account with effect from 01st January2010 and is maintaining the account in the prescribed Performa.

Budget / Revised Estimates and Expenditure for the financial year 2009-2010 are as follows:

Major Head 2405		**Sub Head - 090031 Grant in Aid**			
Sl. No.	**Revised Estimate 2009-10**	**Particulars**	**Funds Released (₹)**	**Expenditure Up to 31.3.2010 (₹)**	**Unspent Balance on 31.3.2010 (₹)**
1	20400000	PAO, MOA, Chennai (Up to 31st Dec-09)	1,28,81,567	1,28,81,567	Nil
		Grant In Aid	75,18,000	74,87,826	30,174
	20400000	**Total**	**2,03,99,567**	**2,03,69,393**	**30,174**

The Accounts of CAA for the year 2009-10 under the section 19(2) of the CAG's (DPC) Act, 1971 was audited by the Office of the Principal Account General (Civil Audit), Tamilnadu from 25th to 27th October 2010.

The Grant-in-Aid for the financial year 2010-11 at ₹ 2,75,00,000/- (Rupees Two crores Seventy Five lakhs only) has been sanctioned by the Ministry of Agriculture under Non-Plan and the break up details under various sub-heads are given below:

Sl. No.	***Name of the Scheme***	***Sub-head***	***BE 2010-11***
Major Head 2405			₹
1.	**Coastal Aquaculture Authority**	090031 Grant in Aid	2,75,00,000
		Total	***2,75,00,000***

V. Staff and existing organizational structure of the Authority

The Ministry of Agriculture in consultation with the Ministry of Finance, Government of India had created 21 posts for the former Aquaculture Authority. The same have been allowed to continue with the Coastal Aquaculture Authority which was established under the Notification dated 22.12.2005, until further orders under the same terms and conditions. The Regulations of the Authority, which provides for the method of recruitment, qualifications etc. for the employees of the Authority, appointment of advisors/consultants etc. were finalized and notified in March, 2008 and made available to this Authority in May, 2008. Subsequently, the Authority initiated the recruitment procedure for filling up all the vacant posts and as on now, sixteen staff has been appointed on Deputation/Regular basis up to 31.3.2010. In addition to that, two Clerical staff and two Supporting staff and one Driver have been appointed on contract basis through a manpower agency. Selections for the other posts are expected to be completed by 2011.

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
(भारत सरकार)
COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
(Government of India)
दूसरी मंजिल, शास्त्री भवन एनेक्सी
2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe
२६, हडोस रोड़, चेन्नै – ६०० ००६, भारत
26, Haddows Road, Chennai - 600 006, India
दूरभाष / Tel.: +91 44 2823 4683, फैक्स / Fax : +91 44 2821 6552
ई–मैल / E-mail : aquaauth@vsnl.net **वेबसाइट** / website: www.caa.gov.in